लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र]
[Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 25, शनिवार, 22 मार्च, 1969/1 चैत्र, 1891 (शक)
No. 25, Saturday, March 22, 1969/Chaitra 1, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के कानूनी आशयों के बारे में महान्यायवादी से परामर्श लेने के कांग्रेस दल का कथित निश्चय	Reported decision of Congress Party to consult Attorney general on M. P. High Court's order in respect of Shri D. P. Mishra ..	1—6
'आर्गेनाइजर' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Editor of 'Organiser' ..	7
सभा का कार्य	Business of the House ..	7—8
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक	Customs (Amendment) Bill ..	8—16
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1 ..	8—12
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended ..	12
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha ..	12—13
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	13
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri ..	13—14
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	14—15
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	Shri P. C. Sethi ..	15—16
दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक	Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill ..	16—25
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	16
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ..	16—20
खण्ड 2,3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	20
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	20
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal ..	20—21
श्री एम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghchandra	21

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	21—22
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	..	22
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	..	22—23
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	..	24—25
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	..	25
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re. Payment of Bonus (Amendment) Ordinance—Negatived and Payment of Bonus (Amendment) Bill	..	26—41
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passed by Rajya Sabha		26
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	..	26—27
श्री हाथी	Shri Hathi	..	27—28
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	..	28—29
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	..	29—30
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	30—33
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	..	33—34
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	..	34
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes		34—35
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	..	35—37
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	..	41
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	41
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	41
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	..	41
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	Statutory Resolution re. Public Wakfs (Extension of limitation) Amendment Ordinance—Negatived		
तथा	and		
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन विधेयक	Public Wakfs (Extension of limitation) Amendment Bill	..	42—53

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passed by Rajya Sabha	..	42
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	..	42—43
श्री मुहम्मद यूनुस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	..	43—44
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	..	44—45
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	45
श्री गयूर अली खां	Shri Gayoor Ali Khan	..	45—46
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	46—47
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	47
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	47—48
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	48
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	..	52
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	52—53

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 22 मार्च, 1969/1 चैत्र, 1891 (शक)
Saturday, March 22, 1969/Chaitra 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के सम्बन्ध में दिये आदेशों के कानूनी आशयों के बारे में महान्यायवादी से परामर्श लेने का कांग्रेस दल का कथित निश्चय ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I hereby draw the attention of the Hon. Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance :

"The reported decision of the Congress Party to consult the Attorney General about the legal implications of the orders passsed by Madhya Pradesh High Court in respect of Shri D. P. Mishra."

I request that the Hon. Minister should give a statement in this regard.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : केन्द्रीय सरकार ने महान्यायवादी से इस प्रश्न के संवैधानिक तथा कानूनी पहलुओं पर सलाह लेने के लिये कार्यवाही की है। क्या श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के चुनाव के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री द्वारका प्रसाद मिश्र को, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में कांग्रेस दल के नेता हैं ; मंत्री मण्डल का गठन करने के लिये आमन्त्रित कर सकते हैं ? राज्य पाल ने भी इस सम्बन्ध में महान्यायवादी का परामर्श लेना चाहा है। कांग्रेस दल द्वारा महान्याय-वादी से सलाह लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I am surprised to hear the Hon. Minister's statement. The Congress Parliamentary Board had taken this decision on the 20th and the Congress President told the same to the Press. I quote **Indian Express**:

"The Congress President, Mr. S. Nijalingappa, told newsmen that the Board wanted to get the Attorney General's opinion about Mr. Mishra."

Similar news was in other papers also.

We then approached you and told you that we wanted to challange the propriety involved in this decision. The Attorney General is for the Central Government and Parliament and not for political parties. We raised the issue and the Home Minister immediately declared that the Central Government was interested in knowing the Attorney General's view in Mr. Mishra's case. If it was only the Central Government who wanted to know the Attorney General's views, may I know the date and time on which a decisions to this effect was taken by the Central Government, and also whether such a decision was taken before 20th, and if so, why this House was not taken into confidence in this regard ?

Secondly, what is the justification in asking for Attorney General's view in Mr. Mishra's case ? His election has been held invalid by the M. P. High Court for using unfair means in the election. Now he may or may not be invited by the Governor to form the cabinet, how does the centre come in. If such a decision is given for any other citizen, would the centre be prepared to ask for the Attorney General's views in that case also ? So, the Centre is misusing the post of Attorney General to save their Party-man. How does the Centre come in to decide about Shri D. P. Mishra or any other Chief Minister belonging to any particular Party ?

It is not only the question of legality but that of constitutional propriety and also of political morality.

Now, since the Home Minister has admitted that he is eliciting the Attorney General's opinion, I would repeat my request that the Attorney General should give his views here in this House itself. He can come here under Article 88, can apprise the House of his views and the Members can also put questions to him. The Governor of Madhya Pradesh is also not empowered to elicit the Attorney General's views. So, please accept my request to call the Attorney General in the House to give his opinion in this case.

अध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी को सभा में बुलाने के चार तरीके हैं । एक तो यह कि वह जब चाहें आ सकते हैं । दूसरे यदि सरकार को कोई स्पष्टीकरण लेना हो तब उन्हें सरकार बुला सकती है । तीसरे, यदि सभा चाहे तो उन्हें यहां बुला सकती है तथा चौथे, अध्यक्ष को यदि किसी कानूनी मामले में सन्देह हो तो उन्हें यहां बुला सकता है । परन्तु इस समय अध्यक्ष को किसी मामले पर सन्देह नहीं है । हम तो इस समय कांग्रेस दल द्वारा महान्यायवादी को बुलाये जाने के बारे में उत्पन्न मतभेद पर चर्चा कर रहे हैं । यहां श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के मुख्य मन्त्री बनने अथवा न बनने के बारे में विचार नहीं हो रहा है । यहां मेरे द्वारा महान्यायवादी को बुलाये जाने का प्रश्न ही नहीं है । हां, यदि सभा चाहे तो उन्हें बुला सकती है । गृह-कार्य मन्त्री अब उत्तर दें ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यपाल ने महान्यायवादी की सलाह मांगी है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में यहां मतभेद क्यों है । यदि कभी कोई संवैधानिक और कानूनी प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो क्या हमें समुचित कानूनी प्राधिकारी की सलाह नहीं लेनी चाहिए ? भारत सरकार को हक है कि वह महान्यायवादी से सलाह ले । यह कहना ठीक नहीं कि राज्यपाल केवल महाधिवक्ता से ही सलाह ले सकते हैं । उस राज्य में स्थिति परिवर्तित हो रही थी इसलिये भारत सरकार ने महान्यायवादी की सलाह लेने का निश्चय किया है तथा राज्यपाल ने भी यही इच्छा व्यक्त की है । अतः यहां व्यर्थ में ही मतभेद पैदा किया जा रहा है । माननीय सदस्यों को इस बात से संतोष होना चाहिए कि राज्यपाल महान्यायवादी से उचित संवैधानिक सलाह लेकर कार्य करना चाहते हैं । भारत सरकार ने महान्यायवादी से सलाह लेने का निर्णय कांग्रेस संसदीय दल के निर्णय से पहले लिया है । मैंने विधि मंत्री से 19 तारीख को विचार-विमर्श किया था । मुझे ठीक से याद नहीं कि संसदीय बोर्ड की बैठक किस दिन हुई थी परन्तु मैंने उस बैठक में कहा था कि ऐसे मामलों में सरकार निश्चय ही महान्यायवादी की सलाह लेना चाहेगी क्योंकि राज्यपाल ने भी महान्यायवादी की सलाह जानने की इच्छा प्रकट की है । क्या माननीय सदस्य महान्यायवादी की सलाह के बारे में किसी प्रकार का भय मानते हैं ?

Shri Atal Behari Vajpayee : While keeping in view the aspect of constitutional propriety and political morality why do the Government of India want to appoint a corrupt man to the office of Chief Minister ?

Shri N. K. Salve (Betul) : On a point of order. It is not correct to say that Shri D. P. Mishra is a corrupt man. Let us first know the decision of the Supreme Court. You please expunge the remarks made by Shri Atal Behari Vajpayee.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अधिक हिन्दी नहीं आती है । मैं अंग्रेजी के शब्द 'corruption' और हिन्दी के शब्द 'भ्रष्टाचार' के मध्य व्याप्त अन्तर को भली भांति नहीं समझ पाया हूं । माननीय सदस्य शोर न करें, मेरी बात सुनें । भ्रष्ट उपायों का प्रयोग करने पर उच्च न्यायालय चुनाव रद्द कर देता है । ऐसे निर्णय पर कई लोग तो अपने पद से त्याग-पत्र दे देते हैं जैसा कि डा० चन्ना रेड्डी ने किया था । इस समय मैं 'भ्रष्ट और भ्रष्टाचार' शब्दों के मध्य के अन्तर को ठीक से नहीं समझ पाया हूं, मैं इस बारे में जांच करूंगा । आप लोग यह बात मुझ पर छोड़ दें । इस बारे में अब अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Under Section 76 (2) of the Constitution the Government of India can take the advice of the Attorney General on the matters as directed by the President. But the Attorney General cannot give his opinion on such matters as indicate a clash between the interests of the centre and other parties.

I am not going in to the legal details but certainly I would insist upon considering what is desirable or undesirable. Mr. Speaker Sir, you yourself have laid down a convention by resigning your post after the decision of the High Court some time ago, and you never withdrew it although you were repeatedly requested for the same. And there have several more cases of this nature.

Now the High Court has convicted Shri D. P. Mishra for indulging in corrupt practices and has permitted him to attend the Legislative Assembly on any one day in 60 days. And since Shri Mishra has not filed any appeal against this decision of the High Court in the Supreme Court, and the Supreme Court has also not given any stay order in this regard, the High Court's decision is very well valid. This permission of attending the Legislative Assembly on any one day during 60 days has been given only lest Shri Mishra should lose his Membership of the House in case he does not attend the House continuously for 60 days. Besides that, he cannot either speak or vote in the House. Is it, then desirable to make him the Chief Minister even after that High Court's judgement ?

So, in such circumstances, will the Home Minister declare or assure the House that he would not even think of appointing Shri Mishra as the Chief Minister until Shri Mirhra is acquitted of by the Supreme Court ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूं, आश्वासन नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महान्यायवादी की सलाह लेने के बारे में है । श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को मुख्य मन्त्री बनाने का प्रश्न एक पृथक प्रश्न है । और अन्य प्रश्नों का उत्तर मन्त्री महोदय महान्यायवादी की सलाह जानकर ही दे सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let the Home Minister say that besides the constitutional aspect, the moral aspect will also be kept in view in this matter.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : व्यवस्था के प्रश्न पर । प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस दल ने महान्यायवादी से सलाह ली है । श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रश्न असम्बन्धित है तथा गृह-कार्य मंत्री को कोई उत्तर नहीं देना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) . इसी बात पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस दल द्वारा महान्यायवादी से सलाह लेने का निर्णय के बारे में गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान खींचने के बारे में है । कांग्रेस दल ने श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के विरुद्ध उच्चन्यायालय के निर्णय के बारे में कानूनी सलाह लेनी चाही है । श्री मधु लिमये तथा श्री बाजपेयी ने कहा है कि मंत्री महोदय तीन कारणों से उत्तर देने से अस्वीकार कर सकते हैं और वे कारण हैं : (i) यदि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक हो ; (ii) यदि वह इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहें ; और (iii) यदि उत्तर देने के लिये उन्हें सूचना चाहिए । परन्तु इस सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न निश्चय ही सम्बन्धित प्रश्न हैं तथा उनका उत्तर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पें० वेंकटासुब्बया के व्यवस्था के प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि कांग्रेस दल नहीं बल्कि भारत सरकार महान्यायवादी से सलाह लेना चाहती है परन्तु कानूनी बातों के साथ ही नैतिकता का भी प्रश्न उठता है । अत: मैं यह नहीं कह सकता कि अनुपूरक प्रश्न असम्बन्धित है । मन्त्री महोदय नैतिकता के बारे में कुछ न कहें या वह कह दें कि वह कुछ उत्तर नहीं दे सकते यह एक दूसरी बात है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आपने ठीक कहा कि इस मामले में कानूनी बातों के साथ-साथ नैतिकता का भी महत्व है। परन्तु जब हम कानूनी बातों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके जानने से पूर्व मैं नैतिक बातों के बारे में कैसे स्पष्टीकरण दे सकता हूं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : You have correctly said that it is very difficult to separate the legal and moral aspect on a matter like this. But it is certainly desirable that such a man should not be a Chief Minister against whom there are charges of corruption. Gandhiji was a great supporter of this view. Now the Madhya Pradesh High Court has given a judgement against Shri D. P. Mishra. The Home Minister says that not the Congress party but the Central Government has sought the advice of the Attorney General.

In this regard, I want to know, whether the Hon. Minister would like to ensure that until Shri D. P. Mishra is not cleared of the conviction, and until the advice of the Attorney General is obtain, the situation will not be allowed to worsen further ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : When Congress refused to give election-tickets to the defectors of Haryana and also to those against whom there were charges of corruption, the peop le thought that the big leaders of Congress are establishing new ideals. But now those very leaders have started violating the convention which they theirselves made. I now want to know whether it is a fact that since the Advocate General had also supported the verdict given by the M. P. High Court, the Home Minister had to approach the Attorney General for his advice ?

Secondly, keeping in view the unstability in various states which is bringing forth a difficult problem in regard to the administration of the country, whether the Home Minister would like to make a convention of discussing such matters with all the political parties, who believe in democracy, so that this House and other Legislative Assemblies need not be troubled in this regard ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह कहना सच नहीं है कि हमें महाधिवक्ता की राय के बारे में मालूम था। मुझे नहीं मालूम कि राज्यपाल ने उनसे सलाह ली कि नहीं ली। राज्यपाल ने सरकार के विधि विभाग से विचार-विमर्श किया था और उस विभाग ने सलाह दी थी कि श्री मिश्र का आयोग्य होना स्वतः ही नहीं है। फिर भी राज्यपाल ने देश के सर्वोच्च विधि विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित समझा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री चह्वाण को यह नहीं कहना चाहिये था कि जब तक कानूनी बातें साफ नहीं हो जातीं नैतिक बातों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह बड़ी अनर्गल सी बात है। इस प्रकार तो वह एक कमजोर पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। वैधानिक बातों के लिये तो वह महान्यायवादी से सलाह लेंगे परन्तु नैतिक बातों के लिये किस से सलाह लेंगे ?

वास्तव में, महान्यायवादी की सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार तो सरकार अपने दल के हितों के लिये सरकारी सेवा का उपयोग कर रही है। पहले एक बार

प्रधानमंत्री ने भी एक मंत्री के लिये निजी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से उनकी राय ली थी। और आज फिर वैसी स्थिति है। आज भी भारत सरकार एक व्यक्ति के लिये महान्यायवादी की सलाह लेना चाहती है।

मैं श्री चह्वाण से जानना चाहता हूं कि वस्तुतः किस संदेह के कारण महान्यायवादी की सलाह जानना चाहते हैं ? ऐसी कौन सी बात स्पष्ट नहीं है ? यह मामला तो बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। श्री मिश्र के चुनाव को अवैध घोषित किया गया है तथा यह निर्णय राज्य के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय ने दिया है। श्री मिश्र अब एक सामान्य नागरिक कहे जाते हैं। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ होता है। परन्तु उनके बारे में तो कोई कानूनी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। फिर श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के बारे में ही क्यों ? क्या इसलिये कि देश के प्रधान मंत्री को बनाने में उनका बड़ा हाथ होता है ? ऐसे मामले में महान्यायवादी की सलाह लेना हमारे संविधान का सरासर उल्लंघन है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार महान्यायवादी के परामर्श प्रत्येक व्यक्ति को मिलना सम्भव होगा क्योंकि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र भी अब एक सामान्य व्यक्ति हैं। आप एक गलत बात को एक बार लेकर उसे उचित सिद्ध करने का प्रयास न करें। क्या हमें ऐसी परिपाटी नहीं डालनी चाहिए कि जिसका चुनाव अदालत ने अवैध घोषित कर दिया हो उसे किसी सरकार का प्रमुख न बनाया जाये अन्यथा हम अनैतिक प्रवृति को बढ़ावा देंगे। दल बदलने के बारे में श्री चह्वाण कहते हैं कि हमें स्वस्थ परिपाटी डालनी चाहिये ; इससे उनका क्या अभिप्राय है। मैं इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अपने आप ही स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि इस मामले में कोई कानूनी अन्तर नहीं है। उन्हें अधिकार है कि वह चाहे जैसी विचार-धारा रखें। परन्तु यह सच है कि जब किसी विषय पर दो मत हो जायें तो सम्बन्धित सर्वोच्च अधिकारी की सलाह ली जानी चाहिये। और इस बारे में वैसे तो मामला स्पष्ट ही कि उच्च न्यायालय ने श्री मिश्र के चुनाव को अवैध ठहराया है और विधि विभाग ने कहा है कि यह अयोग्यता स्वतः ही नहीं है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय सदस्य महान्याय-वादी की राय लेने के बारे में इतने भयभीत क्यों हैं ? यदि यह राय हमें मिल सकती है तो फिर हम क्यों न इसे प्राप्त करें ? केन्द्रीय विधि मंत्रालय से नहीं मध्य प्रदेश के विधि मंत्रालय से सलाह ली गई थी।

जहां प्रत्येक व्यक्ति को महान्यायवादी की सलाह उपलब्ध होने का सवाल है, सो इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। यदि कोई मामला केन्द्र सरकार के हितों के विरुद्ध नहीं जाता तो उस मामले के बारे में कोई भी आदमी महान्यायवादी की सलाह ले सकता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी अपना निजी मत भी देने के अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें कोई नहीं रोक सकता यदि भारत सरकार समझती है कि अमुक मामला इस सभा में उठ सकता है तो उस बारे में केन्द्र निश्चय ही महान्यायवादी की सलाह ले सकता है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : दिनांक 18 मार्च, 1969 को श्री पें० वेंकटासुब्बया ने दिनांक 15 मार्च, 1969 के **'आर्गनाइजर'** में प्रकाशित कुछ टिप्पणियों पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और मैंने कहा था कि इस सम्बन्ध में मैं सम्पादक को पत्र लिखूंगा। अब मुझे 'आर्गनाइजर' के सम्पादक का दिनांक 21 मार्च, 1969 का लिखा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सम्पादक ने कहा है कि वह श्री वेंकटासुब्बया को एक कुशल नेता तथा राजनीतिज्ञ मानते हैं और जिन्हें अपने हिन्दुत्व पर बहुत ही गर्व है उन टिप्पणियों के लिये हमें खेद है।

मैं समझता हूं कि यदि सभा चाहे तो अब इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में सभा मुझसे सहमत है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : कार्य सलाहकार समिति ने सलाह दी है कि बजट की मांगों को स्थगित नहीं किया जा सकता। हमें मांगों के बारे में बुधवार को निश्चय ही विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अध्यादेश भी हमें पारित करते हैं। असम के पुनर्गठन सम्बन्धी विधेयक भी है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है तथा इन सभी पर शीघ्र ही विचार-विमर्श पूरा करना है। असम पुनर्गठन विधेयक पर हम सोमवार तथा मंगलवार दोनों दिन विचार करके बुधवार को मांगों पर विचार करेंगे। इस बारे में मुझे आप सबके सहयोग की आशा है। इस बारे में विशेषरूप से मुझे श्री गोयल के सहयोग की भी आवश्यकता है यद्यपि यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि वह इन अध्यादेशों का विरोध करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह तो अपने-अपने सिद्धान्त की बात है।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): सोमवार, 24 मार्च, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) परिसीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1968 का निरनुमोदन प्राप्त करने वाले संकल्प, जो श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा पेश किया जायेगा, पर चर्चा।

(2) भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी विधेयक, 1968।
(विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव)

(3) संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(मंगलवार, 25 मार्च, 1969 को विचार तथा पास करना)

26 मार्च से 28 अप्रैल, 1969 तक सभा वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी ।

श्री रंगा : मध्य प्रदेश की मांगों तथा गेहूं के भावों, जिनकी घोषणा कृषि दाम आयोग ने की है, पर आगे और अधिक विचार करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कुछ अतिरिक्त समय इस मामले पर दें । इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निवासियों के लिए सस्ते गेहूं की व्यवस्था करने के समर्थन में कई समाचार-पत्रों ने लेख लिखने आरम्भ कर दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय यहां नहीं हो सकता । इन मांगों के लिए 2 दिन होंगे । यदि आप समय कम करना चाहते हैं तो सरकार को कुछ हानि नहीं होगी प्रत्युत इससे विपक्ष को इन मांगों पर विचार करने के विशेषाधिकार से हानि होगी । यदि आप मध्य प्रदेश, तेलगांना इत्यादि पर विचार करना चाहते हैं तो हमारे पास $1\frac{1}{2}$ दिन का समय है और इससे मांगों में कमी हो जायेगी । मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा । प्रत्येक दल नेता से मेरा अनुरोध है कि वह इस बैठक में सम्मिलित होकर अपना विचार व्यक्त करें कि इसके सम्बन्ध में क्या और कब विचार किया जाए ।

श्री रणधीर सिंह : कृषि आयोग का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस पर विचार होना ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में इस पर भी विचार किया जायेगा । आप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से आ सकते हैं । अतः अब हम अन्य विषय को लेंगें ....

श्री हेम बरुआ : प्रो० समर गुह ने बृहत् कलकत्ता के नगर विकास के विषय में विचार करने की मांग के लिये एक प्रस्ताव रखा था तथा आपने इस पर विचार करने की अनुमति का वचन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस समय अनुमति दी थी जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू था । मैं इसके लिये अब भी अनुमति देता हूं परन्तु अब इसे सरकार विधान सभा में जाने दे क्योंकि यदि मैं इसे अब यहां लेता हूं तो मैं कठिनाई में पड़ जाऊंगा । अतः अब हम अन्य विषय को लेते हैं । विधेयक की धारा 2 को लेते हैं ।

सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक—जारी
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खण्डवार चर्चा करेंगे । पहले हम खण्ड 2 को लेते हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु ने धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव किया है । वह चाहते हैं कि 'किसी' के स्थान पर 'पहचानने योग्य' प्रयोग होना चाहिए । जहां तक इस विशेष धारा का सम्बन्ध है यह तो आयात किये हुए सामान से सम्बद्ध है, भारत में निर्मित माल से नहीं । अतः जो भारत में बने माल का व्यापार करता है उसे ऐसी कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी । यह व्यवस्था केवल उन्हीं पर लागू होती है जो विदेशी माल का व्यापार करते हैं । इस संदर्भ में विशेष प्रकार के विदेशी माल को ही जब्त किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री लोबो प्रभू की शंका का समाधान हो गया है । अनुभाग 11 (c) के विषय में जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह है कि 1000/—रुपये की कीमत के माल की घोषणा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा इतने मूल्य के माल को खुले रूप में बेचने की छूट होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में जो कठिनाई है वह यह है कि शिकायतें आई हैं कि पटरी वाले तथा छोटे दुकानदार विदेशी माल का व्यापार करते हैं और यदि हम इस संशोधन को मान लें तो उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जायेगा । इस अध्यादेश के लागू होने के पश्चात 1.7 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया था तथा पटरियों पर जो माल पहले बेचा जाता था वह बन्द हो गया है । इसे पूरी तरह रोकना तो सम्भव नहीं है फिर भी इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है । अतः इस संशोधन को मानना मेरे लिये सम्भव नहीं है । उपकण्डिका—3 को हटाने के सम्बन्ध में उनका जो यह संशोधन है यह उपधारा तो केवल माल गोदाम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में सूचना देने से सम्बद्ध है । यह भी विदेशी वस्तुओं के विषय में है ; इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह दिन में ले जाया जाता है अतः इन वाऊचरों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । विदेशी वस्तुओं के लिए भी वाऊचरों की आवश्यकता पड़ती है ; नहीं तो ऐसे माल अथवा व्यक्ति को पकड़ना बहुत कठिन हो जायेगा । इसीलिए इस कण्डिका को रखा गया है । देशी वस्तुओं पर यह लागू नहीं होती । अतः इस कण्डिका को हटाना अपेक्षित नहीं है । जहां तक 11 की उपकण्डिका 6 का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट वाऊचर पर सम्बद्ध पार्टी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, यह तब ही होगा जब सोने जैसी वस्तुओं को रात के 8 बजे के बाद ले जाया जाता है तो अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने अनिवार्य हो जाते हैं अन्यथा नहीं । ट्रांसपोर्ट वाऊचरों पर पार्टी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य इसलिए हो जाते हैं कि यदि वे पकड़ लिए जायें तो उन्हें पहचाना जा सके । जहां तक इस भाग पर की गई आपत्ति का प्रश्न है उसे पूरा कर दिया है ।

अब मैं श्री सोमानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लेता हूं । उनका कहना है कि 50 किलोमीटर की दूरी की यह सीमा देश के प्रत्येक भाग में लागू होनी चाहिए । जहां तक आयातित माल का सम्बन्ध है यह सारे देश में लागू है, यहां तक कि भारत नेपाल सीमा पर भी इस दूरी की सीमा तो केवल चांदी की तस्करी से सम्बन्धित है क्योंकि यह देखा गया था कि चांदी की तस्करी पश्चिम तट से बम्बई में होती है अथवा पूर्वी तट से तमिलनाडु में । अतः इसे यहां लागू कर दिया है । मैं 50 किलो-मीटर की सीमा को बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दूंगा तथा हमने इस अधिकार का वहां प्रयोग

भी किया है जहां इसकी आवश्यकता समझी गई है। तस्कर व्यापारियों के व्यापार को बन्द करने के लिये हमने उनके आने जाने पर पूरी रोक लगा दी है। इसी कारण 2500 रुपये के विक्रय की अनुमति दी है, यदि इससे अधिक विक्रय किया जाता है तो खरीदने वाले का पूरा विवरण लिया जाता है। अतः मैं यह 100 किलोमीटर के संशोधन को मानता हूं। जहां तक 6 प्रतिशत घाटे का प्रश्न है चांदी किसी भी रूप में क्यों न हो यदि उसकी शुद्धि की जाय तो उसका भार कम ही होगा। अतः चांदी की वस्तुओं को न लेकर केवल चांदी की ही घोषणा करनी पड़ेगी। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न नहीं होता। परन्तु कुछ विशेष मामलों में इस पर भी घाटे की छूट दी जायेगी। यदि एक पक्ष से यह विश्वास हो जाए कि उस पर किसी विशेष कारण से वास्तव में घाटा हुआ अतः इस धारा में संशोधन लाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है तथा मैं सदन से निवेदन करता हूं कि संशोधन सहित इस विधेयक को ग्रहण करें।

श्री लोबो प्रभु : यदि आप यह मानते हैं कि सीमा को बढ़ाया जाए तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 50 तथा 100 किलोमीटर के बीच सीमाशुल्क अधिकारी रखे हैं। केवल अवरोधक लगा दिये जाएं परन्तु वहां किसी अधिकारी को निगरानी के लिये नहीं छोड़ा जाए तो यह तो ठीक नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : 50 किलोमीटर की सीमा में तो हमने कार्य आरम्भ कर दिया है। इस सीमा को 100 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए हमने अधिकारों के लिए कहा है। कर्मचारी आदि भी बढ़ाये जाएंगे। चलते-फिरते दलों का भी प्रबन्ध किया जायेगा। इनको समाप्त करने के लिए हैलीकाप्टर तथा यंत्र चालित नावों के प्रबन्ध के लिए भी विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय का संशोधन न० 23 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न है कि :

पृष्ठ 6

पंक्ति 43 और 44 के स्थान पर यह रखा जाय :

"behalf to satisfy himself as to the identity of the purchaser or the transferee, as the case may be, and if after an inquiry made by a proper officer, it is found that the purchaser or the transferee, as the case may be, is not either readily traceable or is a fictitious person,"

"मैं यथास्थिति विक्रेता अथवा हस्तान्तरी की पहचान के बारे में अपना समाधान करूंगा और यदि एक उपयुक्त अधिकारी के द्वारा जांच करने के पश्चात यह पाया जाता है कि यथास्थिति विक्रेता अथवा हस्तान्तरी का या तो आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता अथवा वह एक फर्जी व्यक्ति है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

क्या आप किसी अन्य संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : धारा 11—H (c) के लिए एक संशोधन है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह संशोधन नं० 19 है।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय का कहना है कि यह सीमा 100 किलोमीटर की होगी परन्तु श्री सोमानी जी के संशोधन के अनुसार यह 50 किलोमीटर है। अतः यह श्री सोमानी जी के संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन होना चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : संशोधन है : धारा 2—पृष्ठ 4, पक्तियां 18 तथा 26 "पचास" के स्थान पर रखिए—"एक सौ"।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में दे दें।

श्री नन्दकुमार सोमानी : सभा पटल पर भी मैंने कल यह संशोधन प्रस्तुत किया कि "पचास किलोमीटर से अधिक न हो" के स्थान पर "सौ किलोमीटर से अधिक न हो" शब्दों को रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : या तो आप लिखित रूप में दें अथवा मंत्री महोदय दें, क्योंकि वक्तव्य पर मतदान भी कराया जा सकता है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्तियां 18 तथा 26 में "पचास" (fifty) के स्थान "एक सौ" (one hundred) रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 4, पंक्तियां 18 तथा 26 में शब्द "पचास" (fifty) के स्थान "एक सौ" (one hundred) रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill

खण्ड 3 से 7 तक विधेयक में जोड़े गये

Clauses 3 to 7 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, I oppose this Bill ; also at its introductory stage. In the statement of its "objects and reasons" it is stated that this Bill is meant to stop the smuggling in and out of India. If you see the contents of this Bill, you will find that instead of stopping smuggling in and out of India it rather legalises smuggling. When I say this I think I am not exaggerating things. I shall produce three reasons that smuggling is being legalised. First is that the limit of distance has been increased from 50 kilometres to 100 kilometres, which has widen the circle for smuggling. Secondly, if a man keeps imported goods in his house and declares that the particular goods are for his personal use, or have been given to him as gift, or in inheritance etc. The rule will not apply here. In this manner the smugglers will be given relaxation in keeping the smuggled goods in their houses. This rule will apply only when the value of the smuggled goods exceeds Rs.50,000/-. Government have given relaxation to them in reducing the value of the goods by three times. If he gives declaration that he has this and that things in his possession and the Officer after inspecting them thinks that the value of the same articles is less than that of what was indicated in the declaration. The Officer permits him to have more goods worth Rs. 2,500/- and if the man gives statement that he has goods valuing Rs. 15,000/- and on inspection if the value of the goods it is found less than Rs. 15,000/- he is given a further rebate of Rs. 2,500/-. Further rebate of Rs. 2,500/- is given to him in the form of Customs, Sales and transfer. This is for a day only. If Inspecting Officer comes on next day again the man will be entitled for further rebate of Rs. 2,500/-. In this manner smugglers are given more relaxation in one way or the other so that smugglers may widen the field of smuggling. You know that the estimate of yearly smuggling in India comes to rupees one crore. Tiwari Committee studied this problem of smuggling. This Committee reported that Government loses yearly Customs duty worth Rs. one hundred crores. In order to stop smuggling Government spends less than one per cent. Government is able to detect i.e. 5 per cent of the smuggled goods. Government did implement the suggestions made by Tiwari Commission. My suggestion is that the limit of Rs. 15,000/- should be decreased to Rs. 500/- and only then Government will be able to detect small smugglings. There is no provision of punishment in the bill. This was not even in the Original Bill. There should be provision for deterent punishment for smugglers.

Government has to bring this bill because the suggestions made in the Tiwari Commission were not implemented. Government should appoint a Committee to have a thorough enquiry from the very beginning in these matters.

Government Officers and the administration should be more vigilant and they should try to stop corruption so that smuggling in India may be completely stopped. If my suggestions regarding Customs duty Bill are not given due consideration, I shall take it for granted that Government is encouraging smugglers and is legalising smuggling to go on. Our aim is to stop smuggling and this will not serve by this bill. Therefore I oppose this bill, and I request Government to withdraw it and solicit the Public Opinion of the country.

डा० रानेन सेन : प्रथम वाचन के दौरान मैंने इस संशोधन विधेयक में विद्यमान कुछ कमियों के सम्बन्ध में सचेत किया था, लगता है कि अच्छे उद्देश्य के कारण भी इस विधेयक से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। परन्तु मैं इसका इतना विरोध नहीं करता क्योंकि इसमें कमियों के होते हुए भी कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, तथा इस विधेयक को पर्याप्त मात्रा में सफल बनाने के लिए सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे तस्करों के छोटे-छोटे समुदाय को न पकड़कर उन बड़े लोगों को पकड़े जो इस सारे जाल को चला रहे हैं।

अक्सर देखा जाता है कि केवल वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं प्रत्युत सत्ताधारी दल के विद्वान व्यक्ति भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, किसी न किसी रूप में उन लोगों से मिले हुए हैं जो तस्करी के जाल को चला रहे हैं। यदि इस विधेयक से कुछ लाभ उत्पन्न करना है तो समग्र प्रशासन को सुधारना होगा इसके अतिरिक्त देश में नैतिक आदर्श अथवा नैतिक मूल्यों की स्थापना भी करनी होगी तथा इसके लिए सरकार को मार्ग दिखाना चाहिए।

अत: राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को उन बड़े व्यापारियों से जो इस जाल को चला रहे हैं उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। नियंत्रण को हटाने के लिए विचार-विमर्श के दौरान यह इस बात का सबूत है कि ये बड़े-बड़े व्यापारी नियंत्रण को हटवाने का प्रयत्न करते हैं ताकि तस्करी का व्यापार चलता रहे।

इमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे तस्करों को पकड़ें तथा उन बड़े-बड़े लोगों को भी पकड़ सकें जो इस जाल को चलाते हैं। इस सबके लिए सरकार को चाहिए कि वह देश में उपयुक्त वातावरण बनाए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) ; While supporting this customs (Amendment) Bill I want to say that the smuggling will be encouraged by passing this bill. In order to bring in any social reform or the measure to eradicate curruption by law is presented before the House, then it is opposed, it does not create good effect on the country. My Hon. friend Shri Shiv Chandra Jha has asked to have check on the big smugglers, and I agree that every step should be taken to have control on them. We should also take into account whatever is being smuggled into India in very huge quantity through Goa, from Nepal and are being sold at very cheap rates in the bazars of big cities like Calcutta. A craze has been created in the

minds of our young men, students to have foreign things. We should try to remove the lure for foreign things from the minds of the people of this country. Unless we make an atmosphere to support the legislation it can not be implemented; and in order to have social and economical reforms in the country we should support such legislations.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : During first reading of the Bill I was stopped, and I discontinued my speech. I was saying on that day that there is no mention in the import control hand book regarding memorandum of understanding we had with Nepal in 1966. I suggest the following changes should be carried out in the present chapter No. 176.

"नेपाल के साथ आयात तथा निर्यात बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है बशर्ते कि वह उत्पादन मुख्यरूप में सम्बन्धित देशों की कच्ची सामग्री से किया हो। 18 नवम्बर, 1968 में हुए क़रार के अन्तर्गत नेपाल से प्रतिवर्ष 90 लाख रुपये तक का सिन्थेटिक कपड़ा तथा 30 लाख रुपये तक की स्टेनलैस स्टील की उत्पादन सामग्री का बिना सीमा-शुल्क के आयात किया जा सकता है परन्तु इस उत्पादन सामग्री पर सीमा-शुल्क विभाग अथवा राज्य व्यापार निगम की मोहर लगी होनी चाहिए।"

We earn much needed foreign exchange by exporting grey cloth to foreign countries. But now this grey cloth is being exported to foreign countries through Nepal and for this reason we are losing foreign exchange. We exported 1,04,00,000 metres grey cloth to Nepal upto January, 1967 and by November, 1968 this export has increased to 3,55,00,000 metres. There is no bleaching house in Nepal. What they do of this cloth is simply to export it to other countries. Government should think over it.

Government has deligated more powers to itself at four places in this bill which has concern in formulating rules. Government has taken powers to itself in Section 11, B to publish list of goods which can be smuggled. Government has not promulgated this law on the Nepal borders. In Section 11,H the Government has agreed to the limit of 100 kilometres, but this is not clear whether this will apply to land border or not. I request the Hon. Minister to ensure that this clause shall apply to land border also. Government has taken the power of giving relaxation to certain things to itself. I think, Government should have more powers in its hands. Government at least should give classification regarding as to which of the things are exempted.

In terms of present legislation Government has allowed imports of goods from Nepal into India free of duty but there is no indication regarding imports from other foreign countries. In this connection I have written a letter on 17th March to Shri Morarji Desai and I request the Hon. Minister to take action and decide the issue. What the Nepalese do is that they stamp the other foreign goods and declare that it was manufactured in Nepal, because there is no import restriction on the goods being imported from Nepal. Either Government should import goods through S. T. C. or these goods should be stamped by the Customs Department, but the Government is not doing this. The smugglers declare that these goods have been imported from Nepal, and the matter is closed. The purpose for which the legislation has been enacted will prove unsuccessful.

Regarding Check on export of silver, I am told that the smugglers were aware of the

Ordinance being promulgated on 3rd January and those smugglers disposed of silver at high rates and earned much money. When the Ordinance was promulgated on 3rd January the rates of silver went down by Rs. 38/- per kilogram. How the people came to know that the Ordinance would be promulgated on 3rd January. It means that no secracy is kept in Government even regarding budget. I do not know what has happened to Government. It is true that the Bill is very useful but I am against the numerous powers proposed to be acquired by the Government under this measure, regarding the trade of import and export.

श्री प्र० चं० सेठी : चांदी की तस्करी के बारे में प्रश्न उठाया गया है। उसकी सीमा 50,000 रुपये नहीं अपितु 15,000 रुपये है। चांदी की छड़ों अथवा सिक्कों के रूप में तस्करी होती है। एक छड़ का मूल्य 15,000 रुपये होता है अतएव इसी मूल्य पर यह सीमा निर्धारित की गई है।

चांदी की फुटकर बिक्री, जिसकी देश के बाहर तस्करी नहीं होती, की सीमा 2,500 रुपये है।

तिवारी समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग की 210 सिफारिशों में से 136 पूर्णतः स्वीकार कर ली गई हैं। समिति के प्रतिवेदन के भाग दो की 167 सिफारिशों में से 114 पूर्णतः स्वीकार कर ली गई हैं। प्रथम भाग की 41 और द्वितीय भाग की 41 सिफारिशों को अंशतः अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया है। प्रथम भाग की 30 तथा द्वितीय भाग की 12 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं।

जहां तक उपहारों एवं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु जब भी उन्हें बेचा जायगा तो कानून की धाराएं उन पर लागू होंगी।

अपने अधिकारियों में नैतिक गुणों के विकास द्वारा प्रशासनिक सुधार के प्रयत्न किये जायेंगे। इस दिशा में डा० रानेन सेन के सुझाव बहुत लाभदायक हैं।

भारत नेपाल के 1960 के व्यापार समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों के मध्य आयात निर्यात की खुली छूट दी गई थी। इसके अन्तर्गत केवल उन देशों के कच्चे माल द्वारा निर्मित वस्तुएं ही आती हैं। अन्य देशों के कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं भी इसके अन्तर्गत आती हैं, यह विवाद का विषय है। श्री मधु लिमये का मत है कि देशों के अपने कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर ही यह समझौता लागू होता है। हमारा दृष्टिकोण है कि उक्त विदेशी कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं भी इसके अन्तर्गत आती हैं। दोनों देशों के मध्य हो रही तस्करी को रोकना आवश्यक है। हमारा एक अध्ययन दल नेपाल गया था, और यह तय किया गया कि कपड़े और स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं का आयात 1967-68 के स्तर तक सीमित रखा जाएगा। व्यवस्था की जा रही है कि नेपाल से आने वाले सामान के साथ ट्रांसपोर्ट वाउचर भेजे जाएं जिससे कि फालतू आने वाली वस्तुओं की तस्करी रोकी जा सके। इस बारे में

मित्रदेश नेपाल के सहयोग से ही कोई उचित पग उठाएं जायेंगे । सीमा पर होने वाली तस्करी को रोक पाने का हमें विस्वास है ।

भारत से चांदी की तस्करी पश्चिमी पत्तन से ही होती है । उस क्षेत्र की सीमा 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है ।

Shri Madhu Limaye: Nylon Fabric manufactured in Japan is exported into India duly stamped 'made in Nepal' Scotch-Whisky is also exported to India as 'made in Nepal.'

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने स्वयं स्काच व्हिस्की की बोतल देखी है जिस पर मोहर लगी है "नेपाल में निर्मित" । हम इस मामले पर ध्यान देंगे ।

Shri Madhu Limaye: Lot of money was made due to fluctuations in silver prices. It requires to be examined.

श्री प्र० चं० सेठी : इस बारे में विधेयक दिसम्बर में सदन के समक्ष था जो कार्याधिकता के कारण पारित न हो सका । व्यापारी इसे जानते थे और इस जानकारी का उपयोग करने लगे थे, इसीलिए अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा गया और उसके फलस्वरूप कीमतें घटीं ।

Shri Madhu Limaye: The promulgation was deferred from December, 23 and it came into operation on January 3. The businessmen, in the know of it, made lots of money duing these days. This should be enquired into.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य यदि कुछ अधिक जानकारी देंगे तो हम इसकी जांच करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक

DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : श्री रघुरामैया की ओर से मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस अवसर पर मैं कुछ बातें सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । दिल्ली प्रशासन ने फरवरी, 1968 में निश्चिय किया कि मोटर गाड़ियों पर कर 25% बढ़ाकर इससे होने वाली अतिरिक्त आय को संघ क्षेत्र की सड़कों की देखभाल पर व्यय किया जाये । इसे उप-राज्यपाल

तथा महानगर परिषद का समर्थन भी प्राप्त हुआ तथा मुख्य कार्यकारी परिषद भी इस बारे में जोर डाल रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए कर बढ़ोत्तरी आवश्यक है।

विधेयक की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10% प्रतिशत की जो रियायत उन गाड़ियों के मालिकों को उपलब्ध थी जो वार्षिक मोटर कर एक बार ही अदा कर देते थे, वह अब वापिस ली जा रही है। इससे 5 लाख रुपये की आय होगी और कुल आय 30 लाख रुपये होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जाता है। खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है अतएव मैं उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे दिल्ली के मित्रों का मत है कि यह कर प्रस्ताव है और इनका विरोध होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : विरोध करने का उन्हें अधिकार है। क्योंकि खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है मैं उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है, "कि खण्ड 2 विधेयक का भाग बना।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (अनुसूची I के बदले नई अनुसूची)

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) विधेयक के दो उद्देश्य हैं। करों को बढ़ाकर अन्य राज्यों के समकक्ष लाना। करों को इसलिए बढ़ाना कि दूसरे राज्यों के कर ऊंचे हैं किसी प्रकार भी युक्त नहीं। मैसूर राज्य में तो कर यहां प्रस्तावित करों से कम हैं।

गृह-मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में दर्शाया गया है कि आय के अनुरूप ही व्यय किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय बात है कि मोटर कर के अतिरिक्त पैट्रोल पर लगा कर से भी केन्द्रीय सरकार को धन प्राप्त होता है।

यह तथ्य है कि यहां पिछले 10 वर्षों में सड़क परिवहन के सभी स्रोतों से 450 करोड़ रुपये की आय हुई है, वहां व्यय केवल 120 करोड़ रुपये ही हुआ है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना

करता हूं कि सड़क परिवहन से होने वाली आय एवं उस पर किए जाने वाले व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करें।

इस कर पर अलग से विचार करना उचित नहीं परन्तु सड़क परिवहन पर सभी करों की पृष्ठभूमि में ही यह विचार होना चाहिए। इस बारे में 1966 में एक आन्दोलन भी चला था। इंडियन चैम्बर्ज आफ कामर्स ने उस समय केसकर समिति को बताया था कि इस कराधान से सड़क परिवहन के चालित व्यय 54.5 प्रतिशत बढ़ गये थे। कर, ढांचों पर 2400 रुपये, टायरों पर 1600 रुपये और पैट्रोल पर मूल्य का 80 प्रतिशत जो अब 7 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि से 85% हो जाता है। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में निर्मित कारों का मूल्य उनके मूल देशों के मूल्य की अपेक्षा 40 से 75 प्रतिशत अधिक है।

सड़क परिवहन पर ये कर भार प्रति टन मील 7 पैसे पड़ते हैं जबकि रेल द्वारा भाड़ा 5 प्रति टन मील लिया जाता है। यह भेद भाव सड़क परिवहन के साथ कहां तक युक्त है।

पिछले जून में, पूर्व परिवहन मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने बंगलौर में घोषणा की कि कर ऐसी सीमा पर पहुंच गये हैं कि उन्हें वहीं रोक देना चाहिए। इस बारे में उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए गृह-मंत्रालय को लिखा था। नवम्बर में उन्होंने दोहराया था कि कर वृद्धि करना उचित नहीं। ऐसे ही विचार केसकर समिति ने उनसे पूर्व व्यक्त किए थे।

दिल्ली के प्रस्तावित करों से ऐसा लगता है कि ये धनी लोगों पर लागू होते हैं। व्यवसायी गाड़ियों पर कर अधिक हैं। देश में 60000 बसें तथा 2 लाख ट्रक हैं जिन पर 30 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इन व्यवसायों के लिए प्रयुक्त गाड़ियों में छोटे स्कूटर भी सम्मिलित हैं। इन पर जो कर भार बढ़ता है वे साधारण जनता को ही देना पड़ता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित पैट्रोल कर वृद्धि से बस भाड़ा बढ़ेगा और इस प्रकार यह कर निर्धन जनता को वहन करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्कूटरों मोटर साइकिलों पर कर घटाएं क्योंकि यह साधारण लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं।

एकमुश्त वार्षिक कर जमा करने वालों की छूट वापिस लेने से सरकार को अधिक कर्मचारी रखने पड़ेंगे इसलिए छूट 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दें परन्तु उसे जारी अवश्य रखे।

मैं अपने संशोधन संख्या 1,2,3 और 4 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा अब्दुल गनी दार उपस्थित नहीं हैं; इसलिए उनके संशोधन पर विचार नहीं किया जा रहा। अब मैं मंत्री महोदय को बुलाता हूं।

श्री इकबाल सिंह : पड़ौसी राज्यों में करों के सम्बन्ध में आदरणीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के विषय में यदि दिल्ली में 9 टन के ट्रक तथा इससे ऊपर वजन वाले ट्रक पर लगे करों

की संख्या को यदि अन्य राज्यों के करों से मिलाया जाए तो हम करों के आंकड़े इस प्रकार करते हैं पंजाब में 594 रुपये; राजस्थान में 2200 रुपये; उत्तर प्रदेश में 1762 रुपये तथा दिल्ली में 600 रुपये। इसे अब 600 रुपये से बढ़ाकर 760 रुपये कर दिया जा रहा है। सभी राज्यों के करों तथा केन्द्रीय करों को मिलाकर यह कार्य पंजाब में 11897 रुपये, राजस्थान में 13,368 रुपये; उत्तर प्रदेश में 14,370 रुपये; तथा दिल्ली में 10562 रुपये आता है। 52 तथा इससे अधिक मंत्रियों की बसों पर कर पंजाब में 2750 रुपये; राजस्थान में 2600 रुपये; उत्तर प्रदेश में 2655 रुपये; तथा दिल्ली में 2220 रुपये होते हैं। दिल्ली में इसे बढ़ाकर 2775 रुपये कर दिया जायेगा। राज्य तथा केन्द्रीय यात्री बसों पर कर पंजाब में 26452 रुपये हैं; राजस्थान में 26302 रुपये; उत्तर प्रदेश में 18257 रुपये, तथा दिल्ली में 12296 रुपये हैं। अतः अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में कम कर लगे हुए हैं।

दिल्ली के पड़ौसी राज्यों में कारों पर कर के आंकड़े इस प्रकार हैं उत्तर प्रदेश में 1016, पंजाब में.....

श्री लोबो प्रभु : आप गलत बात बता रहे हैं। कारों पर कर केवल 120 रुपये हैं। 1000 रुपये कर नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में 80 रुपये हैं तथा यहां आपने 100 रुपये बताये हैं।

श्री इकबाल सिंह . उत्तर प्रदेश में 1,016 किलो ग्राम तक 60 रुपये, 1016 किलोग्राम से अधिक पर 1,270 रुपये हैं।

श्री लोबो प्रभु : यह 60 से 1200 नहीं हो सकता।

श्री इकबाल सिंह : छोटी कारें तथा अन्य प्रकार की कारें भी हैं तथा विभिन्न प्रकार की कारों पर विभिन्न प्रकार के कर हैं।

आपका दूसरा प्रश्न यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत हमने कितने कर लगाए हुए हैं। पिछले वर्ष तीनों नगरपालिकाओं में ये कर बांट दिये गये थे। दिल्ली नगर निगम को 80 लाख रुपये; नई दिल्ली नगर पालिका को 23 लाख रुपये; दिल्ली छावनी बोर्ड को 2,12,000 रुपये मीलों के अनुसार वितरित किए गए थे। परन्तु सड़कों का व्यय इससे कहीं अधिक है। आगामी वर्ष के बजट में हमने इसकी 5,15,00,000 रुपये की व्यवस्था की है। यह व्यय 2,10,00,000 रुपये से बढ़कर 5,15,00,000 रुपये हो गया है जबकि मोटर गाड़ियों पर लगे करों में केवल 80 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। सड़कों की देखरेख तथा इनके विकास का व्यय इस वर्ष बढ़ गया है।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में करों पर रोक लगाने के लिए कहा है। आपने अपनी इस नीति को क्यों बदला है।

श्री इकबाल सिंह : करों पर रोक लगाने का मामला तो बड़ा मामला है हमने सारे राज्यों

से इन्हें किसी निश्चित स्तर पर लाने के लिए कहा है तथा यह सिफारिश दिल्ली नगर निगम ने की है ।

अध्यक्ष महोदय : दो सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं । मैं उन्हें अन्त में समय अवश्य दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री लोबो प्रभु के संशोधन संख्या 1,2,3 और 4 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज तथा श्री अब्दुल गनी दार उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे (म० प०) तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 9 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at nine Minutes Past Fourteen of the Clock

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

सभापति महोदय : अब दिल्ली मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक पर विचार होगा । श्री सहगल ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : It is an admitted fact that the taxes in Delhi are much less in comparison to those levied in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. We will know something after the implementation of this act. Then we will know that what would be the working con-

dition. How people will send their goods and what will be the percentage of the owner's of vehicles and the quantum of tax they will pay, as a result of the enactment of this Act. But the tax should not be increased on the vehicles belonging to other states. The trucks of various states and Delhi which are transporting goods from one state to another will not be Taxed and the truck owners should not be at a loss because of the levy of inter states taxes which might compel the trucks to stop transporting goods from one State to another.

There is not much increase in the tax, as compared to other States even then the increase in tax should not affect other States.

I am of the view that we must have a chart, showing full details and the taxes levied in each State which enable us to know the rate of such taxes in each State. I support the Bill and hope the Hon. Minister will consider my suggestions.

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : इस स्थिति में भी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । यह तर्क कि विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ियों पर कर दिल्ली से कहीं अधिक है, तथा दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्र में इसे बढ़ाना चाहिये । ठीक तर्क है । परन्तु इस प्रक्रिया का कहीं अन्त नहीं है । यदि एक राज्य में कर बढ़ेंगे तो दूसरे राज्य संघ में राज्य उसका अनुसरण करेंगे और इस प्रकार मोटर गाड़ियों के मालिकों पर इसका भार बढ़ता जायेगा ।

जैसा कि सदन को विदित है कि स्नेहक पदार्थों, उपकरणों तथा मोटर पार्ट्स पर केन्द्रीय कर प्रत्येक वर्ष बढ़ते हैं, इसलिए मोटर गाड़ियों पर कर के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप में विचार न करके इन करों के दरों के रूप में विचार किया जाये । सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टी 35 है, तथा मैं समझता हूं कि संसद् विधान बना सकती है तथा इस प्रकार के करों के लिये सिद्धान्तों का प्रति पादन कर सकती है, परन्तु किसी भी विधान सभा अथवा संसद् ने इस प्रकार का विधान नहीं बनाया है । जिसके फलस्वरूप राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र करों को बढ़ाते जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान यातायात विकास मण्डल की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब समय आ गया है कि इन करों को बढ़ाने की इस प्रक्रिया को रोका जाये । अतः मैं आदरणीय मंत्री से इस स्थिति में भी अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को वापिस ले लें क्योंकि मुझे बताया गया है कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी कर बढ़ाये जा रहे हैं, यहां तक कि मनीपुर में भी ।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Though I appreciate that it had been made compulsory to have a token for driving a car even for ten days and the fee of the token had been reduced, the 25% increase made in the tax is on the high side. It should have been 10% at the most. Moreover 10% rebate was allowed to the transport owners in the past when they deposited tax on annual basis. But it has now been abolished. It is not a good thing. It acted as an initiative to the transport owners to deposit tax on annual basis, which has now been taken away. I am of the opinion that this rabate should be allowed to continue because it minimises the chances of delay in depositing tax.

I agree that it was necessary to increase the tax, because it is already on the high side in other States. But at the same time I would like to say that proper facilities should be given to the travelling public. You have increased the token tax, you have increased the passenger tax and you have increased other taxes, but passenger amenities have not been increased. After all the burden of these taxes is borne by the travelling public. Therefore I request that proper facilities should be given to the travelling public, be they villagers or city people or labourers or persons of other classes. There should be arrangements for water supply. Sheds should be constructed for them, because they have to brave hot winds and biting cold for hours together while waiting for buses.

Next I would like to say that preference should be given to ex-servicemen and Harijans for giving licences for private taxis. The persons who are sent for fighting on the fronts during war are thrown out of the employment in peace. So I would appeal that at least 50% licences should be given to ex-servicemen.

I would also like to draw your attention to the fact that huge amounts are being misused by the people. The private cars are being used as taxis. The disease is not only limited to Delhi only, but it is there in other cities also. This matter should be enquired and preventive steps should be taken. A special squad should be constituted to prevent this leakage of revenue.

I support this Bill.

Shri George Fernandes (Bombay, South): Sir, I rise to oppose this Bill. A provision has been made in this Bill to raise the tax by 25%. I would also like to tell the House that there are other taxes also on all types of vehicles in Delhi. There is licence fee, temporary permit fee and inspection fee etc. An alround increase of 25% in all these taxes is being made by this Bill. If this increase would have been limited to private vehicles only, I would have no objection. But this 25% increase is being imposed on public Vehicles also. It is a great crime. It will have a very bad effect on the road transport operators. Two days ago there had been a strike of truck operators in Maharashtra and now the truck operators propose to launch a country wide strike. I would also like to tell the House that on 28th instant there will be a country wide strike of the Taxi operators. The Taxi operators from all big cities i. e. Calcutta, Bombay and Madras will come here in hundreds to have a demonstration before the Parliament.

In the Budget Estimates the taxation on mobile and petrol has been raised by 10 to 15% and the excise duty on spare parts has also been increased. What will be its result ? It will result in an alround increase in prices. But at the same time you are not allowing the Taxi operators to raise the fare. How they will continue ? There will be no relation between their wages and the fare. The taxi operators will be doubly taxed. Because on one hand their working expenditure will go up due to increase in the prices of essential commodities and on the other hand their wages will go down due to a decrease in their earnings. So it is essential to oppose this Bill. You are raising the taxes alround and the public is going to suffer. There should be a limit to these increase. If the taxes on vehicles are raised to-day, the fares are also bound to be raised one day. So I strongly oppose this Bill.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : महोदय, इस विधेयक के द्वारा वाहनों पर कर बढ़ाया गया है । जैसा कि मेरे मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा है पेट्रोल तथा मोबिलआयल पर पहले

ही कर बढ़ाया जा चुका है और अब टोकन कर तथा पंजीकरण फीस को भी बढ़ाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हर तरफ से करों में वृद्धि करते जा रहे हैं और अन्ततः इस सारी वृद्धि का प्रभाव बसों अथवा टैक्सियों के यात्रियों पर पड़ेगा। बसों में प्रायः गरीब जनता यात्रा करती है और करों में वृद्धि करने का अर्थ किराये में वृद्धि करना होगा। इसके अतिरिक्त आप ट्रक चालकों से भी यह आशा नहीं कर सकते कि वे अपने ट्रकों को घाटे में चलायें और अन्ततः इसका प्रभाव भी समाज के गरीब वर्गों पर पड़ेगा।

चूंकि ट्रकों पर करों में वृद्धि की गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव ट्रकों द्वारा ढोये जाने वाले माल पर पड़ेगा और उनके मूल्य में वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार सब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी और इसका प्रभाव जनसाधारण पर पड़ेगा।

विधेयक में यह तर्क पेश किया गया है कि चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों में कर कम हैं, इसलिए इसे अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिये बढ़ाया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि हमें करों में कमी करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिये, ताकि अन्य राज्य भी उसका पालन कर सकें और करों में कमी कर सकें। परन्तु हम उल्टी नीति पर चल रहे हैं। चूंकि राज्यों द्वारा करों में वृद्धि की गई है, इसलिए हम भी करों में वृद्धि कर रहे हैं। यदि हम इसी नीति का पालन करते रहे, तो राज्यों करों में और वृद्धि की जायेगी और फिर केन्द्र द्वारा करों में और वृद्धि की जायेगी और इसी प्रकार करों की वृद्धि का यह कुचक्र चलता रहेगा। यह कहा गया है कि यह राशि स्थानीय निकायों को दी जायेगी, परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह राशि कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी अथवा कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों पर।

आय व्ययक में यह तर्क पेश किया गया है कि प्रशासन के खर्च को पूरा करने के लिये नये कर लगाये जा रहे हैं। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटे को कम करके भी यह खर्च पूरा किया जा सकता है। अतः यह तर्क भी संगत नहीं है।

श्री इकबाल सिंह : सड़कें बनाने तथा सड़कों और पुलों की मरम्मत कराने के लिये यह धन स्थानीय निकायों को दिया जायेगा।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : किसी स्थानीय निकाय के लिये पुल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि पुल के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। इसके लिये वे सदा केन्द्र अथवा राज्य सरकार से धन मांगती है। ट्रैक्टरों पर करों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार कर सकेंगे।

मैं इस विधेयक के केवल एक उपबन्ध का समर्थन करता हूं जिसमें कहा गया है कि यदि किसी मोटर गाड़ी को एक तिमाही से कम समय के लिये इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर प्रत्येक मास के लिये अथवा उसके भाग के लिये वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा कर के रूप में लिया जायेगा।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, under the present circumstance it is not possible to support any taxation proposal. The people of Delhi are in trouble and they are finding it difficult to get their two ends meet. In such circumstances how can we support this Bill ?

The tax is being imposed for improving the roads of Delhi. I think it is the responsibility of the Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Committee and the Cantonment Board to improve the roads of Delhi. The Congress had been in power in the Delhi Municipal Corporation for last ten years and when after the elections of 1967 the reins of the Municipal Corporation were taken over by Jan Sangh it was running at a loss of Rs. 11 crores. The position was that the employees were not getting their pay in time and the Central Government was compelled to think as whether the Municipal Corporation should be continued or it should be abolished. In 1966 a commission was appointed by the Central Government to go into the question of Finances of Delhi Municipal Corporation. The Commission had submitted its interim report and it had been recommended there in that the Corporation should impose new taxes and the house tax should be increased. It was also recommended in the Report that if Delhi Municipal Corporation should continue it should immediately be given a grant of Rs. 2 crores and an interest free loan of Rs. 6 crores. These recommendations were accepted by the Ministry of Home Affairs and the report was published in February, 1967. But the political picture of Delhi was completely changed 1967 elections and the power was transferred from the Congress to Jan Sangh. The result was that the report was put in cold storage. It is a political injustice. After that a Commission was appointed under the chairmanship of Shri Morarka. Mr. Morarka was an anti Jan Sangh. That Commission also recommended that house tax should be increased and other taxes should be imposed. But the Jan Sangh kept in view the welfare of the citizens of Delhi. Despite these recommendations the house tax on houses having a rentable value of less than Rs. 1,800 has been decreased from 11% to 10% and the cycle tax has been abolished.

But now the question is how the Corporation should be run ? The Central Government are not giving assistance. They have rejected the recommendations of the Reddy Commission Report.

Morarka Commission had suggested that cent percent service charges should be levied on Central buildings and the claims of rupees 2½ crores should be paid. But this has not been done so far.

The Central Government is in favour of imposing more taxes on Delhi. Two Commissions appointed for this purpose have recommended the imposition of professional Tax in Delhi. But Jan Sangh has opposed it.

The House Tax on 2 lakhs houses have been reduced from 11 per cent to 10 percent. The Cycle Tax has been abolished. Professional tax has not been imposed on anybody.

But we have to take into consideration the requirements of Delhi also. The population of Delhi is increasing very rapidly. But when the request for grant is made to the Central Government for fulfilling the requirement of Delhi, the Central Government told that Delhi should raise money from its own sources.

A provision of Rs. 23 Crores has been made for Delhi in its annual budgets for last four years, which is very small compared to the demand of the growing city. Inspite of this there has been tremendous improvement in the condition of the roads in Delhi.

Provision should be made that the Bill relating to Delhi should be passed by the Metropolitan Council. Had there been such provision this Bill would have been passed a year back. Delhi should be given the status of a State so that it may pass any Bill and may implement its provisions immediately.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs, and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : As compared to other States, the taxes in Delhi are not more. Tax on Scooters in Delhi has been raised from Rs. 32/- to Rs. 40/. In Punjab it is Rs. 50/-, Taxes on Cars are imposed on the basis of the weights of Cars. There is a tax of Rs. 60/- on a Car weighing 1016 Kilograms and a tax of Rs. 80/. and Rs. 100/- on a Car weighing 1270 and 1778 Kilograms respectively.

The tax on Cars in Delhi was Rs. 80/- which has been raised to Rs. 100/-

In Punjab tax on Car is imposed on the basis of its size. It ranges between Rs. 93 and Rs. 100/- Besides this there are other taxes like passenger tax etc. in Punjab. Taking all these things into consideration taxes in Delhi are minimum as compared to other States. Proposals, sent by Manipur Council regarding imposition of taxes, are under consideration.

Rebate of 10 per cent is being withdrawn because Government want money for the improvement of roads in Delhi. It is a good suggestion that Taxi-permit should be given to ex-Servicemen. We will have a talk with Delhi Administration in this regard. Facilities will be provided to passengers.

The burden of tax has not much increased. Only token tax has been increased. The fare will not be increased as a result of this. These taxes are very low as compared to the taxes on Vehicles in U. P., Punjab, and Harayana.

Taxes have not been imposed on tractors used by Zamindars in Villages. Taxes have been imposed on tractors used for business purposes. There has been a slight increase in the taxes on tractors. Taxes collected in Delhi, are distributed amongst Delhi Municipal Corporation, New Delhi, Municipal Committee and Cantonment Board. This distribution made because these bodies may make necessary improvement with regard to roads. These bodies will get more money this year.

It is not correct to say that Central Government does not help Delhi State. 2 crores and 10 lakhs of rupees were given by the Central Government to the Delhi State for the construction of roads and rupees 5 crores and 15 lakhs have been given for this purpose during this years i.e. 1969–1970.

Delhi Administration has been given an assistance of rupees 3 crores more this years.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बोनस संदाय अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प
और
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: PAYMENT OF BONUS ORDINANCE
and
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक के बारे में मैंने एक संशोधन भेजा है । आपकी अनुमति से उसे परिचालित किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन का विषय मुझे मालूम नहीं है । मैं उस पर बाद में विचार करूंगा ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 2) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

राज्य सभा 28 दिसम्बर, 1968 को अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई थी और यह अध्यादेश 10 जनवरी, 1969 को जारी किया गया था । अतः इस अध्यादेश को जारी करते समय राष्ट्रपति या मंत्री परिषद को इस बात की जानकारी थी की सभा का शीघ्र अधिवेशन बुलाया जायेगा ।

सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने को उचित कहा जा सकता था यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को उच्च न्यायालय प्रभावी न होने देती । लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय बहुत पहले ही दिया जा चुका था । यदि यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के 15 दिन या एक सप्ताह बाद दिया जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी । जहां तक मुझे याद है मैटल बौक्स कम्पनी के मामले में अगस्त, 1968 में निर्णय दिया गया था और अध्यादेश, 1969 में जारी किया गया था ।

चूंकि सरकार ने इस अध्यादेश की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख नहीं किया है अतः मैं इसका पूर्णतया विरोध करता हूं ।

अध्यादेश या विधेयक का विषय सीमित है ।

बोनस का निर्धारण करने के लिये किस रकम को कुल लाभ में से घटाये जाने के प्रश्न पर कर्मचारियों और उद्योगपतियों में वाद-विवाद था । उन रकमों को घटाकर बाकी बची 60 प्रतिशत रकम को कर्मचारियों में बोनस के रूप में बांट दिया गया । इस रकम को बोनस के रूप में बांटे जाने के लिये उद्योगपतियों को छूट मिली थी । प्रश्न यह था कि क्या इस धनराशि को

अगले वर्ष के कुल लाभ में से घटाया जा सकता है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योग-पतियों के पक्ष में निर्णय दिया था।

मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं क्योंकि कर्मचारियों को लाभ में से अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बोनस अधिनियम में छुटपुट संशोधन करने के स्थान पर एक व्यापक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जाये। बोनस अनुपूरक मजूरी अथवा आस्थगित मजूरी है। जब तक वास्तविक मजूरी और जीवन निर्वाह मजूरी में अन्तर बना हुआ है तब तक यह बोनस अनुपूरक मजूरी अथवा आस्थगित मजूरी रहेगा। जब वास्तविक मजूरी और जीवन निर्वाह मजूरी समाप्त हो जायेगी तब इस बोनस का अर्थ लाभ बांटना होगा। बोनस के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

मेरे विचार में बोनस के लिये फालतू धनराशि के लिये कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस समय बोनस अधिनियम लागू करने के लिये कर्मचारियों की संख्या में हेरफेर करते हैं। फिर श्रमिक वर्ग इस समय हिसाब-किताब नहीं देख सकता। अतः कुछ खातों के औचित्य को वह चुनौती नहीं दे सकता है। अतः मैं अपील करता हूं कि एक व्यापक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जाये जिसमें ये सभी सुझाव सम्मिलित किये जायें।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

बोनस अधिनियम में उपलब्ध फालतू धनराशि का हिसाब लगाने के एक विशिष्ट तरीके का उल्लेख है। कुल लाभ में से कुछ मदों को घटाना पड़ता है। इसमें एक मद प्रत्यक्ष करों की है।

मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा हिसाब लगाये जाने में कुछ अन्तर है। कर्मचारियों का कहना यह है कि धारा 6 (ग) में "देय धन राशि है" शब्द का अर्थ वास्तव में मालिकों द्वारा दिये जाने वाला कर है। दूसरी ओर मालिकों का कहना यह है कि धारा 6 (ग) के अनुसार घटाये जाने वाला कर सांकेतिक कर है, वास्तविक कर नहीं जो वास्तव में उद्योगपति द्वारा दिया जाता है क्योंकि उनके अनुसार आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को दी गई बोनस की धन राशि पर मालिकों को दी जाने वाली कर की छूट को हिसाब में सम्मिलित नहीं करना चाहिये। इस धारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सांकेतिक कर स्वीकार किया है, वास्तविक कर नहीं, शायद संसद भी इस विचार से सहमत है। इसके फलस्वरूप कर की कटौती नाम मात्र की होगी। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक को पूरा लाभ मिलेगा। एक अन्य निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34 (2) समाप्त कर दिया था। इसके अन्तर्गत कर्मचारी वर्ग को बोनस अधिनियम के सामान्य नियम के अनुसार

प्राप्त होने वाले बोनस से अधिक बोनस मिल सकता है। इसे समाप्त कर दिया गया था। अतः यह मामला भारतीय श्रमिक सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के पास भेजने से पूर्वकर्मचारी वर्ग काफी समय से आन्दोलन कर रहा था। हम यह सोच रहे थे कि इस मामले में क्या किया जाये परन्तु इसी बीच मेटल-बाक्स के बारे में निर्णय की घोषणा की गयी थी। इस निर्णय की घोषणा वर्ष 1968 में की गई थी वर्ष 1966 में नहीं। फिर इस पर कर्मचारियों का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है। हमने इस सम्बन्ध में बातचीत करने का प्रयत्न किया था और अन्त में अध्यादेश जारी किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम से यह स्पष्ट नहीं होता कि संसद का इरादा इसे वास्तविक कर का रूप देने का था। वर्ष 1965 के बोनस विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री दांडेकर ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि इसे सांकेतिक कर होना चाहिये वास्तविक कर नहीं। इस संशोधन को अस्वीकार दिया गया था। जब यह कहा जाता है कि कर देय है तो इसका अर्थ यह होता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में कर अदा कर रहा है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सांकेतिक कर स्वीकार किया है। इस संशोधन के स्वीकार न किये जाने का कारण यह था कि हमने बोनस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही मालिकों को बहुत सी रियायतें दी थीं, इसलिये हमने कहा है कि कर रियायतें मालिकों को नहीं बल्कि कर्मचारियों को मिलेगी हमारा विचार यह था परन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। मैंने अब यह संशोधन विधेयक उपस्थापित किया है और मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इसको पारित करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : यह कानून उस अध्यादेश का स्थान लेगा जो 19 जनवरी 1969 को जारी किया गया था। इस कानून के अनुसार बोनस वितरण करने के लिये उपलब्ध फालतू धन राशि में वह राशि और सम्मिलित हो जायगी जो इस समय नियोजकों को गत वर्ष में कर के भुगतान करने के कारण कर छूट मिलती है।

इस सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री श्रीचन्द गोयल के विचारों से सहमत हूं। वस्तुतः सरकार इस कानून द्वारा अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा अगस्त, 1968 में की गयी थी। उसके बाद सरकार के पास इस कानून को सभा में प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय था। फिर यदि दिसम्बर तक यह कानून सभा में नहीं लाया जा सका था तो 17 फरवरी तक प्रतीक्षा की जा सकती थी। अध्यादेश जारी करने का कारण अत्यावश्यक न होकर कर्मचारियों का आन्दोलन था, अन्यथा अध्यादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।

वर्ष 1948-49 तक नियोजकों के पास फालतू उपलब्ध धन राशि में से बोनस दिया जाता था, इस पर कर्मचारियों का न दावा होता था और न ही इसे नियमित मजूरी समझा जाता था। वर्ष 1961 में पहली बार बोनस आयोग की स्थापना की गई थी जिसने वर्ष 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1965 का बोनस अधिनियम बना था। बोनस आयोग ने बोनस की परिभाषा, उसे लागू करने और उसका हिसाब लगाने के तरीकों में पर्याप्त परिवर्तन किये थे। इसमें 4 प्रतिशत की न्यूनतम दर के हिसाब से बोनस का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था चाहे नियोजकों को लाभ हो अथवा हानि हो। इसे नियमित मजूरी स्वीकार किया जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि बोनस का हिसाब लगाने के लिये मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा। फिर न्यूनतम 4 प्रतिशत के भुगतान के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि कुल फालतू उपलब्ध धन राशि का 60 प्रतिशत भाग कर्मचारियों में बांटा जाये और नियोजकों के पास 40 प्रतिशत राशि रहनी चाहिये। कर्मचारियों के लिये अधिक और नियोजकों के लिये कम राशि इस विचार से निश्चित की गई थी। वितरण के प्रयोजन के लिये सांकेतिक कर का हिसाब लगाने में नियोजकों की कुछ बचत होगी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर्मचारियों और नियोजकों के 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हिस्से को स्वीकार कर लिया है।

हम ऐसे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं जिससे कर्मचारियों को अधिक मजूरी मिले और उनका जीवन स्तर बढ़े परन्तु यह सुझाव सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि बोनस आयोग ने मूल्यह्रास तथा अन्य वस्तुओं के बारे में कम दरें निश्चित की थीं परन्तु अधिनियम में ऊंची दरों की व्यवस्था है। वास्तव में बोनस आयोग ने वर्ष 1962-63 में देश प्रचलित दरों के हिसाब से ये दरें निश्चित की थीं जबकि अधिनियम में वर्ष 1965 की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर यह दर निश्चित किये गये। आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर लाभ की दर, मूल्य ह्रास आदि की दरें पर्याप्त नहीं हैं। अतः इन दरों को बढ़ाया जाना चाहिये और फिर बोनस के रूप में वितरण के लिये फालतू उपलब्ध धन राशि का हिसाब लगाया जाना चाहिये। यदि इन संशोधनों को स्वीकार किया गया तो समस्याएं अधिक पेचीदा हो जायेंगी और नियोजकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले लेगी।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य कर्मचारी वर्ग को लाभ पहुंचाना है। इस विधेयक में संशोधन करने से ऐसी अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी जो कर्मचारियों को दी जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने संसद् द्वारा बनाये गये अधिनियम की व्याख्या करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। संसद में विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था और यदि उच्चतम न्यायालय ने उसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है तो इसमें न्यायालय का कोई दोष नहीं है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान बोनस अधिनियम में अन्तर्निहित कुछ त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह उनके संबंध में विचार करेंगे और एक व्यापक विधेयक सभा में पेश करेंगे । बोनस अधिनियम में पहली कमी यह है कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्रमशः 20 प्रतिशत और 4 प्रतिशत निश्चित की गई है । मैं समझता हूं कि बोनस की अधिकतम सीमा निश्चित किये जाने का आधार युक्ति संगत नहीं है क्योंकि किसी उद्योग में अत्यधिक लाभ होने की स्थिति में कर्मचारियों को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक बोनस नहीं मिल सकेगा जबकि इस लाभ के लिये कर्मचारी ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं । इससे उद्योगपतियों को ही प्रायः अधिक लाभ होता है । सरकार का कहना है कि लाभ की राशि बढ़ जाने से उद्योग का विस्तार होगा और इस प्रकार कर्मचारियों को ही अन्ततः लाभ होगा । मैं समझता हूं कि उद्योग का विस्तार तो पहले भी किया जाता था । बोनस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा ।

यदि कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है तो उद्योगपतियों के लिये लाभ की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए । जब हम देश में समाजवादी सामाजिक ढांचे को स्वीकार कर चुके हैं तो समाज के दो वर्गों में इस प्रकार की भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अधिक उत्पादन तथा अधिक लाभ के लिये उद्योगपति और कर्मचारी दोनों ही उत्तरदायी हैं । इस बात में सन्देह नहीं है कि उपर्युक्त वृद्धि में कर्मचारियों का ही अधिक योगदान रहता है । अतः मैं समझता हूं कि उद्योग-पतियों के लिये लाभ की एक अधिकतम सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिये और उस सीमा से जितना भी अधिक लाभ हो वह या तो सरकार को मिलना चाहिए अथवा कर्मचारियों में बांट दिया जाना चाहिए । आज कर्मचारियों के रहन-सहन का स्तर बहुत गिरा हुआ है । उन्हें अधिक मजूरी दिये जाने की आवश्यकता है । अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें अधिक बोनस दिया जाना चाहिए और जो लाभ अधिक हों, उसमें कर्मचारियों को अंश दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात बोनस अधिनियम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार बीस या बीस से अधिक कर्मचारी वाले उद्योगों में ही बोनस दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि एक उद्योगपति अनेक नामों से एकक स्थापित करके लाभ तो बहुत कमाता है किन्तु एक एकक में बीस से कम कर्मचारी होने के कारण उसे कर्मचारियों को बोनस नहीं देना पड़ता है । अतः मेरा निवेदन यह है कि बोनस लाभ के आधार पर दिया जाना चाहिए न कि कर्मचारियों की संख्या के आधार पर । यदि किसी उद्योग में एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक लाभ होता है तो चाहे उसमें 20 कर्मचारियों से कम हों अथवा अधिक उसमें बोनस दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । लाभ की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए । उसके बाद बोनस दिया जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वर्ष 1965 में बोनस अधिनियम के प्रवर्तन के समय से

कभी भी औद्योगिक शान्ति न होने का एक कारण यह है कि सरकार सदैव मालिकों के सामने झुकती रही है। सरकार ने बोनस आयोग के अधिकांश सदस्यों का निर्णय न मान कर माननीय सदस्य श्री दाण्डेकर द्वारा मालिकों के पक्ष में दी गई विमति टिप्पणी को अधिक महत्व दिया है। माननीय सदस्य श्री पाटोदिया कर्मचारियों को चार प्रतिशत बोनस दिये जाने के पक्ष में भी नहीं हैं।

श्री पाटोदिया ने उन मालिकों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है जो खून पसीना बहा-कर काम करने वाले कर्मचारियों के बल पर उत्तरोत्तर धनी बनते जा रहे हैं। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी ओर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी घटती जा रही है। माननीय सदस्य श्री पाटोदिया ने कहा है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है किन्तु वह इसे भूल जाते हैं कि कीमतों में कितनी वृद्धि हो गई है। कपड़ा उद्योग में न्यूनतम मजूरी 50 रुपये मासिक होना लज्जा की बात है।

वर्ष 1968 में देश में गम्भीर औद्योगिक अशान्ति रही है। यह सराहनीय बात है कि मेटल बाक्स आफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह विधेयक लाया गया है। इस निर्णय के अनुसार बोनस तथा बोनस पर दिये जाने वाले आयकर पर मिलने वाली छूट का सारा लाभ मालिकों को होता था किन्तु इस विधेयक से 60 प्रतिशत लाभ कर्मचारियों को और 40 प्रतिशत मालिकों को मिलेगा।

कपड़ा उद्योग को उत्पादन शुल्क आदि में पर्याप्त छूट दी गई है। मालिक लोग मिलने वाली छूट से होने वाले लाभ की राशि का उपयोग अपने वर्तमान कारखानों का आधुनिकीकरण आदि के लिए नहीं करते हैं। वे कारखानों का आधुनिकीकरण आदि के नाम पर सरकार से करों में छूट का लाभ तो ले रहे हैं और इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि से अन्य स्थानों पर नये उद्योग स्थापित करके अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह राशि बोनस के रूप में कर्मचारियों को दी जाये।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है कि छूट से होने वाले लाभ की पूरी राशि कर्मचारियों को मिलनी चाहिए न कि केवल 60 प्रतिशत। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा बोनस आयोग के बहुसंख्यक निर्णय को न मानकर अल्पसंख्यक निर्णय को मानना सरासर गलत है।

बहुत अधिक मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने का अनुचित लाभ कमायेंगी। वे 20 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को नहीं देंगे। इस समय इंडियन आक्सीजन कम्पनी, आई० सी० आई० डनलप आदि विदेशी कम्पनियां कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी दिए जाने आदि कारणों से 35-40 प्रतिशत तक कर्मचारियों को देती हैं

किन्तु इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद वे 20 प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं देगी । अतः श्रम मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि 20 प्रतिशत की यह अधिकतम सीमा हटाई जाए ।

कानून सदैव मालिकों की सहायता करता है । गत तीन वर्षों में 228.50 करोड़ रुपये की रिजर्व राशि को बोनस अंशों में परिवर्तित किया गया । यदि रिजर्व राशि इतनी है तो उन्हें 6 प्रतिशत की आय होगी । रिजर्व राशि को बोनस अंशों में परिवर्तित किये जाने के कारण कर्मचारियों को हानि हुई है । इस वर्ष कपड़ा उद्योग को छूट दी जा रही है किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि कानपुर की कपड़ा मिलें, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, लाल इमली, धारीवाल, सिंघानिया आदि की मिलें कर्मचारियों को अधिक बोनस नहीं देंगी ।

बोनस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा माना जाता है कि उद्योगों द्वारा रखा जाने वाला हिसाब-किताब सही होता है । किन्तु अनेक आयोगों ने उनकी जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि वे दो खाते रखते हैं—एक बोनस का हिसाब रखने के लिए और दूसरा मुनाफे का हिसाब रखने के लिए । जब स्थिति ऐसी है तो उनका हिसाब-किताब सही माने जाने के क्या कारण हैं ।

सरकार बोनस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और कर्मचारियों के समर्थन में यह कहा गया था कि श्री दाण्डेकर द्वारा दी गई विमति टिप्पणी दिये जाने के बावजूद कर्मचारियों को इस समय मिल रहे लाभ से कम लाभ नहीं मिलना चाहिए । किन्तु सरकार ने बहुसंख्यक निर्णय की उपेक्षा की थी । स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि किसी को हानि नहीं होगी किन्तु आज उसकी उपेक्षा की जा रही है ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने यह विधेयक सभा के सामने लाने की कृपा की है । अब सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इसके सम्बन्धित खण्डों में संशोधन करके यह व्यवस्था करे कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि न हो क्योंकि नियोजक अब तक काफी कमा चुके हैं जब कि कर्मचारियों का जीवन स्तर गिर गया है । यदि कर्मचारियों का ध्यान न रखकर मालिकों को ही लाभ पहुंचाया जाता रहा तो यह देश पतन की ओर चला जायेगा और यह समाजवाद का मजाक होगा । यह विचित्र बात है कि बिड़ला परिवार का कोई सदस्य धन कर नहीं देता है ।

श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था । सर्व-सम्मति से यह स्वीकार किया गया था कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का सूत्र मान लिया जाये किन्तु नियोजक इसके लिए सहमत नहीं हुए थे । उन्होंने कहा है कि हम चार प्रतिशत दे रहे हैं । कर्मचारियों को बोनस मिलना ही चाहिए और वे इसके लिए लड़ते ही रहेंगे ।

यह अध्यादेश कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया था । अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में कर्मचारियों के हितों की रक्षा हुई है । धारा 27 में कहा गया है कि संतुलन

पत्र सही माना जाये । यही सबसे बड़ी गलत बात है । अतः इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को इस पहलू पर विचार करना चाहिए । दूसरी बात यह है कि हो सकता है कोई उद्योग 20 प्रतिशत से अधिक बोनस कर्मचारियों को देने की स्थिति में हो किन्तु 20 प्रतिशत की सीमा के कारण वह कर्मचारियों को अधिक नहीं देगा । इस विवाद को हल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । यदि कर्मचारी आन्दोलन करेंगे तो मालिक मामले को न्यायालय में ले जायेंगे और न्यायालय में निर्णय में काफी समय लग जाता है । यदि कर्मचारी घेराव आदि करते हैं, तो सरकार उसके लिए राजनैतिक दलों को दोषी बताती है और कहती है कि यहां पर साम्यवादी चीन के तरीके अपना रही है । यदि घेराव दिल्ली आदि में होता है तो जनसंघ को दोषी बताया जाता है । अतः मेरा अनुरोध है इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए ।

भारतीय श्रम सम्मेलन आदि में मालिकों के प्रतिनिधि प्रभावशाली रहते हैं और वे सदा मालिकों का पक्ष लेते हैं तथा कर्मचारियों का पक्ष, कमजोर ही रहता । यदि देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कायम रखनी है, तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मामलों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से शीघ्र किया जाना चाहिए । कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए ।

प्रतिरक्षा उद्योगों के कर्मचारियों पर भी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है । बोनस अधिनियम लागू होना चाहिए । यदि ये उद्योग लाभ नहीं कमाते हैं, तो कोई बात नहीं; कर्मचारी उत्पादन तो देश के लिए करते हैं । यह कहकर कि इन उद्योगों में मुनाफा नहीं कमाया जाता है इसलिए कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलना चाहिए, गलत है । मंत्री महोदय को इसके लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन के लिए विधेयक लाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे देश में मालिकों की एकाधिकारवादी प्रवृतियों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक विधेयक सभा के सामने लायें ।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : यह विधेयक एक अध्यादेश के जारी किये जाने पर लाया गया है । बोनस सम्बन्धी मुख्य अधिनियम में भी इसी प्रकार बनाया गया था । इससे कांग्रेस सरकार के मालिकों और कर्मचारियों के प्रति रवैये का पता चलता है । बोनस अधिनियम से कर्मचारियों को बहुत कम लाभ हो रहा है ।

यह अध्यादेश 10 जनवरी को जारी किया गया था । यह मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था । साथ ही मालिकों को अपने खाते ठीक करने के लिए समय देना भी इसका एक उद्देश्य था । ताकि उन्हें कम से कम बोनस देना पड़े । कोयम्बेटूर की साउथ इंडिया वेस्ट कोस्ट कम्पनी का इस सम्बन्ध में एक उदाहरण है । इसने कर्मचारियों को बोनस से वंचित

करने के लिए अनुचित कार्य किया है और लाभ उठाया है। सरकार ने उपेक्षा करने वाले मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

वर्तमान विधेयक से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना चाहिए। अब तो 4 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस भी नहीं दिया जा रहा। उज्जैन, मध्य प्रदेश की हीरा मिल्स, और पांडिचेरी की भारत मिल्स को छूट दे दी गई है। इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाये और इसकी त्रुटियां समाप्त की जायें ताकि कर्मचारियों को पर्याप्त बोनस मिल सके।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, I support this Bill. The original Bonus Act was passed with a view to help the workers, but that has not been of much help to them. Now a maximum limit has been put on Bonus. It is not good. This has resulted in benefit of millowners. The employers are not providing necessary facilities to the workers. They live in dirty colonies. According to the existing Act a factory, which employes 20 or more persons must pay bonus, but my information is that many factories, which employ more than one hundred workers do not abide by these acts. This matter should be looked into. The Bonus Act should be made applicable to Government undertakings also.

Another point is that the bonus is not paid in time to the workers. The employers make use of this money for their own benefit for pretty long time. A time limit should be fixed for payment of bonus.

The millowners are maintaining double books to evade taxes and duty. In this way they are depriving the public exchequer of large sums of money. Apart from that the workers are also being deprived of their rightful dues. I want that a special enquiry should be conducted in this matter. It will show many frauds.

Then there are many industries wherein this law is not applicable, because there the work is only for a part of a year. This should apply there also. Many Inspectors are corrupt. They connive with the industrialists and cause harm to Government. This too should be looked into.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, when this Act was passed, it was considered that there would be no disputes after that. But the experience of the last few years is that the number of disputes have increased. The owners consider that payment of bonus to workers is not the right of workers. The owners want to exploit the workers. They do not realise that workers are a force behind the production.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

The millowners always try to avoid payment of bonus to workers. They always look for the excuses to withhold its payment. Now the prices of essential commodities have gone very high. I hold both Government and industrialists responsible for this. I know the case the textile mills of Bombay. It is after very long dispute and after the mediation of Chief Minister that

it has been solved. There are 60 such mills in Bombay and two lakh workers are employed there. Most of the mills have paid only the minimum of bonus under the law. The mills under Government control have not been paying any bonus whatsoever.

Many mills in the country are facing closure. It is due to the fault of owners. They have not used the reserves for the replacement of old machinery in mills. The profits earned by these mills have been spent on other things. I hold both Government and the mill owners responsible for this. Government should look into this and set the things right.

The black money is being used and corruption is rampant in these Departments. The licenses are issued and other formalities are completed after bribe is paid. Many big people are entangled in this.

I support this Bill. But at the same time I request the Government to see as to how this law has been helpful to the workers ? An enquiry commission should be appointed for this. The industrialists have made misuse of the provisions of this Act. The commission should go into all such aspects and should be asked to suggest improvements. The Hon. Minister has admitted here yesterday that Government undertakings have been guilty in this regard. They have not followed the code of conduct. It is very strange. Then it has not been followed by Defence establishments. I demand that all State undertakings must be asked to pay bonus. The D.T.U. in Delhi and B.E.S.T. in Bombay must pay bonus.

If necessary an ordinance should be issued to implement these suggestions.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं परन्तु मेरे विचार में इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इस कानून की संसद् के आदेशों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है। मिल मालिकों को जो रियायत दी गई थी। उन्होंने उससे कहीं अधिक लाभ उठाया है। और जो कुछ श्रमिकों को मिलना था वह उन्हें नहीं मिला है। अब इस संशोधनात्मक विधेयक से भी मुझे निराशा ही हुई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री पहले बतायें कि 'मजूरी' का वह क्या अर्थ निकालते हैं ? जब तक श्रमिकों को ठीक मजूरी नहीं मिलती, तब तक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगा।

हमारे देश में श्रमिकों की मजूरियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के द्वारा आप 'लाभस्य शुभं' लिखा पायेंगे। उन लोगों की लाभ के बारे में यह धारणा है। इसका समाजवाद से कैसे सम्बन्ध है।

बड़े-बड़े पूंजीपति देशों जैसे जापान, तथा जर्मनी आदि में मजूरी के बारे में धारणा बदल गई है। वहां मजदूरों को अधिकाधिक मजूरी देना अच्छा समझा जाता है। मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को यदि निवास, अच्छी शिक्षा तथा चिकित्सा की यथेष्ट सुविधायें प्राप्त हों तो हमारा उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। जापान में भी इसी प्रकार की क्रान्ति आई थी। वहां सरकार ने मजदूरों की मजदूरी पर ध्यान दिया। ऐसा ही अनेक पूंजीवादी देशों में भी हुआ है परन्तु भारत में अभी वह स्थिति नहीं आई।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया तो चाहते हैं कि यह 4% बोनस भी मजदूरों को न मिले। आज हम पूंजीवादियों से यह आशा नहीं रख सकते कि वे लोग युवकों में नई शक्ति का संचार करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का लाभ पहुचायेंगे। अतः हमें कानून ही बनाने पड़ेंगे।

बोनस विधेयक पर चर्चा करते समय कहा गया था कि इस बारे में कई प्रतिबन्ध हैं और यह कहना भी गलत होगा कोई उद्योग मजदूरों को 20 प्रतिशत से अधिक नहीं दे सकता। अनेक उद्योग ऐसे हैं जो इससे भी अधिक दे रहे हैं तथा इस प्रकार खूब लाभ भी कमा रहे हैं। इसलिये उचित तो यही है कि न्यूनतम सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाये तथा उच्चतम सीमा को खुला रहने दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि मजूरी दर का निश्चय करने के लिये बात-चीत आरम्भ की जाये और फिर इस सम्बन्ध में एक मार्ग दर्शन प्रणाली बनाई जाये। उससे निकलने वाले परिणामों के आधार पर बोनस अधिनियम में संशोधन किए जायें।

इस विधेयक की धारायें बड़ी भ्रामक हैं तथा अग्राह्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तो यह सर्वविदित हो गया है कि प्रबन्धकों द्वारा दिये जा रहे बोनस पर जो रियायत सरकार देती है वह कुल लाभ से न काटी जाये और उसे सीधा कर न समझा जाये बल्कि वह भी मजदूरों को ही प्राप्त होनी चाहिये।

विधेयक में आपने कहा है कि उस रियायत का 60 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलना चाहिये तथा 40 प्रतिशत प्रबन्धकों को। इसका सरल उपाय तो यह है कि नये वर्ष की रियायत भी पिछले वर्ष की रियायत में जोड़ दी जाये। अतः धारा (क), (ख) तथा (ग) को विधेयक में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मंत्री महोदय इस बारे में पूरी तरह विचार करें तथा तदुपरान्त उत्तर दें।

बोनस अधिनियम में दिये गये उपबन्ध इन्डियन एक्सप्रैस तथा वहां के कर्मचारियों के बारे में हुए निर्णय के आधार पर बने हैं। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो कारखाना या उद्योग अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी नहीं दे सकता उसका बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में तीन-चार परिवारों के आवास, उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं आदि पर होने वाली लागत का हिसाब लगाकर प्रत्येक उद्योग के लिये मार्ग दर्शक-सिद्धान्त बनाये गये थे।

पिछली बार जब वित्त मंत्री से कहा गया कि महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर तथा उस भत्ते को स्थायी रूप से वेतन में मिलाकर वेतन बढ़ा दिये जायें तो उन्होंने कहा था यदि सरकार अधिक वेतन देगी तो रहन-सहन का खर्च भी बढ़ जायेगा और मूल्यों में और वृद्धि हो आयेगी। परन्तु इस बारे में उन्हें फिर से सोचना चाहिये। वास्तव में हमें उपभोक्ता उद्योगों का विकास

करना चाहिये और यह विकास तभी हो पायेगा जबकि इस उद्योग को क्रय-कर्ता मिलेंगे तथा क्रय तभी होगा जबकि क्रय-कर्त्ता के पास धन होगा। लोगों के पास माल खरीदने के लिये पैसा होगा। अतः 150 अथवा 200 रुपये वेतन पाने वालों को अधिक वेतन दिया जाना चाहिये। इसलिये यह कहना उचित नहीं कि अधिक वेतन देने से मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी और कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री हाथी : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि श्री देवकी नन्दन पाटोदिया हमसे सहमत नहीं हुए तथा उन्होंने न केवल अध्यादेशों की बल्कि विधेयक के उपबन्धों की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार मजदूरों की धमकी के आगे झुक गई है। परन्तु मैं उनसे पूछता हूं (यद्यपि वह यहां उपस्थित नहीं हैं) कि किसी उद्योग के लिये मजदूरों का संतुष्ट होना आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं है ? क्या इसके बिना कोई उद्योग ठीक से चल सकता है ?

यह आन्दोलन तो 1968 से ही नहीं बल्कि उस समय से चल रहा था जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34 (2) को रद्द किया था; परन्तु अब यह बात गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। अनेक मजदूर संघों की ओर से सरकार को अभि आवेदन तथा प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं कि वर्ष 1965 में बनाये गये अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति हो। और यदि औद्योगिक क्षेत्र में असन्तोष है तो उसे मजदूरों की मांगों को ठुकरा कर या उनके साथ बहस करके उन्हें नहीं दबाया जा सकता। अब यदि किसी मजदूर को बोनस पर रियायत में से दो-चार रुपये अधिक मिल सकते हैं तो किसी को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये जबकि देने वाले को भी उस रियायत का एक अंश मिल जाता है। श्री पाटोदिया तथा उनके साथियों को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिये। आपको उन लोगों में विश्वास पैदा करना है कि आप उनकी वैध मांगों को पूरा करेंगे। क्योंकि बोनस पर लगे कर पर दी गई रियायत मजदूरों को ही दी जानी थी, अतः वह पैसा उन्हें तुरन्त दिया जाना चाहिये और श्री पाटोदिया को विधेयक का समर्थन करना चाहिये था। इससे प्रबन्धकों और कर्मचारियों से मध्य सम्बन्ध अच्छे होते तथा परस्पर विश्वास पैदा होता। सरकार इस प्रकार मजदूरों को कुछ लाभ देना चाहती है परन्तु प्रबन्धकगण उसका विरोध करते हैं। यह उचित नहीं है। इस प्रकार न तो औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति होगी और न ही प्रबन्धकों और मजदूरों के मध्य अच्छे सम्बन्ध ही स्थापित होंगे।

माननीय सदस्य ने बोनस आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दिया था। बोनस आयोग ने यह कहा है कि बोनस पर लगे आयकर पर दी जाने वाली रियायत के पीछे यही भाव था कि उन लोगों को पुनर्वास के रूप में कुछ प्राप्त हो जाये। यह बात बोनस आयोग ने रिपोर्ट के अनुच्छेद-12 में कही है। परन्तु इसके बाद से अनेक बातें हुई हैं। सरकार ने दरें बढ़ा दी हैं तथा विकास-रियायत भी दी है। इन सब बातों को देखते हुए हमने सोचा कि बोनस पर कर-रियायत का लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिये न कि प्रबन्धकों को।

इसी कारण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। परन्तु दुर्भाग्य से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस निर्णय में ऐसी कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं होती।

श्री कुण्डू ने जो प्रश्न उठाया है उसका अर्थ मैं उदाहरण देकर बताता हूं। यदि किसी उद्योग को 30 लाख रुपये का कुल लाभ होता है जिस पर 15 लाख रुपये आयकर लगता है। शेष 15 लाख को 60 : 40 के अनुपात में कर्मचारियों और प्रबन्धकों के मध्य बांट दिया जाता है और कर्मचारियों को बोनस के रूप में 9 लाख रुपये मिलते हैं। बाद में निर्धारण वर्ष में ये 9 लाख रुपये खर्च में गिनकर शेष 21 लाख के कुल लाभ पर $10\frac{1}{2}$ लाख रुपये आयकर दिया जाता है। इस प्रकार हिसाब से तो 15 लाख रुपये आयकर बनता है परन्तु वास्तव में केवल $10\frac{1}{2}$ लाख रुपये ही अदा किये जाते हैं और $4\frac{1}{2}$ लाख रुपये बच जाते हैं। अब हम कहते हैं कि इस $4\frac{1}{2}$ लाख रुपये को अगले वर्ष के लाभ में जोड़ लिया जाये तथा पुनः 60 : 40 के अनुपात से बांट दिया जाये। इन दो अनुच्छेदों में यही बात लिखी है। यह बात आयकर विभाग तथा विधि मंत्रालय आदि की सलाह से की गई है।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कई सुझाव दिये है परन्तु वे कुछ संगत नहीं है।

धारा 34 (2) के रद्द किये जाने से कर्मचारियों को कुछ हानि हुई है। इस सम्बन्ध में आयोग नियुक्त करने से अधिक समय लगेगा। इसीलिये हमने राष्ट्रीय श्रम आयोग से इस प्रश्न पर विचार करने को कहा है।

हम इस बारे में भी अध्ययन करेंगे कि हम लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, सरकार को कितना नुकसान या फायदा हो रहा है। परस्पर झगड़े कितने बढ़ गये अथवा घट गये हैं आदि आदि।

और भी कई सुझाव थे परन्तु वे इस विधेयक की सीमा में नहीं आते। शेष सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : पिछले दिसम्बर में कोई विधेयक पेश करने की बजाय अध्यादेश जारी करने की नीति क्यों अपनाई गई ? यह ठीक है कि कुछ झगड़े और कुछ आन्दोलन हुए थे। परन्तु सभा का सत्र चलते-चलते भी अध्यादेश जारी क्यों किया गया ? मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीचन्द गोयल का संकल्प सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"यह सभा बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 2) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"बोनस संदाय विधेयक, 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर धारा-वार विचार करेंगे । खण्ड दो पर कुछ संशोधन पेश किये गये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4, और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 14 तथा 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा संशोधन उस वर्ग के हित के लिये है जिसे इस सभा ने बिल्कुल भुला दिया है और वे लोग हैं उपभोक्ता गण में मेरा संशोधन इन लोगों को कुछ और लाभ दिलवाने से सम्बन्धित है ।

सभा इसे माने या न माने परन्तु यह तथ्य है कि आज मूल्यों में वृद्धि करने के लिये कर्मचारियों और प्रबन्धकों ने मिलकर एक षड़यंत्र रचा रखा है ताकि ऊंचे मूल्यों से अधिक लाभ कमाकर प्रबन्धक-गण अपने कर्मचारियों की मजूरी बढ़ा दें । लाभ निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं तथा मजूरी में भी 200 से 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । और यह सब कुछ उपभोक्ता की जेब से निकलता है जिसे इतने ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं जो कि विश्व भर के मूल्यों से 200 प्रतिशत अधिक हैं । क्या हम इस षड़यंत्र के आगे झुक जायेंगे ?

हमारे देश में 5280 लाख उपभोक्ता हैं जबकि ये कारखाना कर्मचारी केवल 60 लाख हैं तथा कुछ एक हजार प्रबन्धकगण हैं । हम इन लोगों के लिये क्या कर रहे हैं ? मेरा सुझाव है कि इस आयकर की रियायत का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाये । अनेक कारखाने भी अपने कर्मचारियों को मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत की रियायत देते हैं । अतः यह आयकर रियायत भी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को दी जाये । यदि सम्भव हो तो इस रियायत का लाभ निर्धन लोगों को दिया जाये परन्तु कर्मचारियों और प्रबन्धकों को नहीं । मैं तो यहां सभी गरीब आदमियों का प्रतिनिधित्व करता हूं । वामपंथी दल निर्धन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं·····वे तो 60 लाख कारखाना-कर्मचारियों का पक्ष लेते हैं । (**व्यवधान**) इन मजदूरों और प्रबन्धकों की मिली भगत के कारण कुल लागत का 52 प्रतिशत इन लोगों के हाथों में जाता है । इस रहस्य

को हम सबने समझना है। अतः मेरा बड़ा ही सरल संशोधन है कि आयकर की रियायत का यह लाभ उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलना चाहिये। इससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा बल्कि इस कारण बिक्री बढ़ने से मजदूरों और प्रबन्धकों को भी फायदा होगा। मैं अपने शेष तीन संशोधन प्रस्तुत करता हूं तथा आशा करता हूं माननीय मंत्री इन्हें स्वीकार करेंगे।

Shri George Fernandes : Sir, my three amendments are similar to those which are put forward by Shri S. M. Banerjee. My fourth amendment says :

In this clause :

For '1968'

Substitute '1967' and the words "In so far as pending disputes in regard to payment of bonus in that year are concerned", should be added after that.

If this is done the provision made under this Bill will also be applicable to the bonus cases which are pending for the year of 1967 and these cases will indiscriminately be solved.

Shri S. M. Banerjee : If the amendments put forward by Shri George Fernandes, I am prepared to withdraw my amendments.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : महोदय कटौती के बारे में उच्चतम न्यायालय में प्रश्न उठाया गया था तथा सरकार ने भी स्वीकार किया था कि कटौती के कारण बड़े उद्योगपतियों को बहुत धन प्राप्त होता है। इसे रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ? कुल लाभ, बोनस और कटौती आदि की गणना के सम्बन्ध में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हाथी : श्री लोबो प्रभु का संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है। श्री बनर्जी के संशोधन संख्या 2 भी भेदमूलक है। 1968 के स्थान पर 1967 नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं उठ सकती हैं। संशोधन संख्या 3 को मैं समझ ही नहीं पाया। उनका अगला संशोधन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आयकर उसी वर्ष निर्धारित नहीं हो पाता इसके लिए एक या दो वर्ष लग जाते हैं। श्री कुन्डू ने अपने संशोधन में प्रत्यक्ष तथा बोनस आदि के सम्बन्ध में जो सूत्र दिया है वह बहुत जटिल है अतः उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All the amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड (2) विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4 भी विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 3 and 4 were also added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह बोनस के प्रश्न को इंडियन लेबर कॉनफ्रेंस के समक्ष रखें। 20% की अंतिम सीमा को समाप्त कर देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri George Fernandes : I request the Hon. Minister should take steps to establish a commission which may assess the actual performance in regard to the Bonus Law and the benefits provided to the Labourers.

An ordinance should also be brought forward before the 17th May in connection with the facilities of the labourers of the Public Sector undertakings.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन विधेयक
तथा
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन विधेयक
के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) AMENDMENT BILL
AND
PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) AMENDMENT BILL

श्री श्रीचन्द गोयल : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 13) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

मैं इस अध्यादेश में निहित सिद्धान्तों का तथा सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियों का विरोध करता हूं । सरकार को इस परिसीमा समाप्ति के बारे में पूर्वानुमान कर लेना चाहिए था तथा इस विधान को पिछले ही सत्र में ले आना चाहिए था, किन्तु सरकार और विशेषकर विधि मंत्रालय का कार्य अत्यंत आलस्य पूर्ण है ।

परिसीमा की हम अवधि को तीसरी बार बढ़ाया जा रहा है । सरकार पहले अध्यादेश के द्वारा विधान को लागू कर देती है तथा बाद में संसद् से उन्हें पारित करा लेती है । यह प्रक्रिया अच्छी नहीं है । केन्द्र सरकार की इस प्रक्रिया का राज्य सरकारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा वे भी इसी प्रक्रिया का सहारा लेने लगी हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो हमें अनुच्छेद 123 को हटाने के लिए विवशतः प्रस्ताव रखना पड़ेगा ।

लोक वक्फा (परिसीमा विस्तारण) विधेयक; 1959 के द्वारा कब्जे की वसूली के लिये साधारणतः निर्धारित 12 वर्ष की अवधि को बढाकर 20 वर्ष कर दिया गया था । फिर एक विधेयक लाया गया तथा उसके अनुसार 2 वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई अर्थात् यह विधान 31 दिसम्बर, 1968 तक लागू रहा । अब यह तीसरा विधेयक लाया गया है जिसमें यह अवधि और 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है ।

इस प्रकार अवधि बढ़ाने से बहुत से भोले भाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । नेहरूनगर आदि गांवों के लोगों ने मेरे पास एक छपा हुआ पत्र भेजा है । उसके अनुसार वहां के लोगों ने भू खण्ड खरीद कर उनपर अपने मकान बना लिए । वक्फा बोर्ड ने उनपर भूमि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर दिया है । अतः अब उनके मकान गिरा दिए जायेंगे

तथा उन्होंने जो सरकार से ऋण लिया था वह देना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि लोक वक्फा (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाय।"

महोदय राज्य सभा ने 3 मार्च, 1969 को इस विधेयक को पारित किया। 1954 में वक्फा अधिनियम लागू किया गया था। इसकी धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य में वक्फा संम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराने के लिए आयुक्त नियुक्त करने थे तथा राज्य सरकारों को आयुक्तों के प्रतिवेदनों की संमीक्षा करनी थी तथा उनके प्रतिवेदनों को सरकारी गजट में प्रकाशित करना था जिससे यह सभी को यह ज्ञात होके कौन सी भूमि पर अवैधानिक कब्जा है तथा कौन सी भूमि पर वैधानिक। किन्तु दुर्भाग्य से बहुत से राज्यों में 1963 तक वक्फा बोर्डों की नियुक्ति नहीं हो पाई। धीरे-धीरे विभिन्न राज्यों में इन बोर्डों को बनाया जा रहा है।

वक्फ बोर्ड के गठन के बावजूद वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराने के लिये आयुक्त नियुक्त करने में कुछ विलम्ब हुआ था। वर्तमान स्थिति यह है कि नौ से अधिक राज्यों में यह सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है और वहां सम्पत्ति के बारे में पता लगाना कठिन है।

वक्फ आयुक्त पर वक्फ बोर्डों का नहीं अपितु राज्यों का अधिकार है अत: वक्फ बोर्ड इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए मुकदमें चलाने की निर्धारित अवधि को बढ़ाना अनिवार्य हो गया था। परन्तु जब यह पाया गया कि वक्फ बोर्ड की गलती से नहीं अपितु राज्य सरकारों की किसी कठिनाई के कारण सर्वेक्षण नहीं किया गया था तो सर्वेक्षण किये जाने की भी अवधि को बढ़ा दिया गया।

पूर्व न्याय विधेयक तैयार कर लिया गया है और राज्यों की उसके बारे में मत जानने के लिए उसे परिचालित कर दिया गया है। उसके खण्ड 53 के अन्तर्गत यह उपबन्ध रखा गया है कि यदि किसी सम्बन्ध वर्ग अथवा व्यक्ति की न्यास सम्पत्ति पर किसी का अवैध कब्जा हो तो उसके लिये मुकदमा चलाने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाएगी।

कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से कहा कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करना सम्भव नहीं है अतः इसके लिये अवधि बढ़ाई जाये इसके मद्रास आंध्र मैसूर, मध्य प्रदेश आदि हैं। हमें इस बारे में तार पत्र आदि दिसम्बर, 60 में मिले। परन्तु उस समय संसद् के दोनों सदनों

का सत्र नहीं हो रहा था ; अतः हमें उन राज्यों के हित में ये अध्यादेशजारी करना पड़ा था और दो वर्ष की अवधि बढ़ानी पड़ी थी ।

विभिन्न राज्यों में मिलने वाले प्रतिवेदनों से पता चलता है कि कई राज्यों में सर्वेक्षण का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा तथा कुछ राज्यों में 1970 के मध्य में सर्वेक्षण के प्रतिवेदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे । अतः मुकदमें चलाने के लिए बहुत कम समय रह जाएगा । इन परिस्थितियों में हमने इस अवधि को केवल दो वर्ष बढ़ाना है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक का समर्थन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध के कठिनाइयों तथा परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए अवधि बढ़ाना अनिवार्य है । अवधि में यह विस्तार केवल उन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नहीं हैं जिन पर 1947 के दंगों के दौरान अवैध कब्जा किया गया था बल्कि उन सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है जिनके लिये उसके पहले अथवा बाद में वक्फ बनाये गये थे ।

मैं समझता हूं कि देश में 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वक्फ सम्पत्ति हैं परन्तु इस सम्पत्ति के कुछ भाग पर अवैधरूप से कब्जा किया हुआ है तथा कुछ का बन्ध ठीक नहीं है । अतः इस सम्पत्ति के संरक्षण के लिये 1954 में इस सभा द्वारा सार्वजनिक वक्फ अधिनियम बनाया गया था । परन्तु इसको 1959 अथवा 1960 तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया था । फलस्वरूप बहुत से अवैध कब्जाधारियों ने वक्फ सम्पत्तियां अपने अधिकार को वैध बना लिया । 1959-60 में ही राज्य बोर्ड तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड बनाये गये थे । परन्तु उन बोर्डों के पास न तो धन था, न ही कर्मकारी और न ही उनके पास वक्फ सम्पत्तियों की सूची थी । सर्वेक्षण कराना स्थानीय सरकार का कार्य था । सरकार ने सर्वेक्षण कर्मचारी नियुक्त करने में अधिक समय लिया तथा उन कर्मचारियों के सर्वेक्षण कराने में समय लगाया ।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

सर्वेक्षण से पता चला कि वक्फ की अवैध कब्जे में बहुत सी सम्पत्तियां हैं । 1967 में जब सर्वेक्षण का समय बढ़ाने के लिए दूसरा संशोधन विधेयक सदन में लाया गया तो मंत्री महोदय ने बताया कि वक्फों की 17,000 सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा है । अब तक केवल 3,000 सम्पत्तियों के बारे में मुकदमे चलाये गये हैं ।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास मुकदमा चलाने के लिये कोई धन नहीं था । वक्फ बोर्डों ने विरोधी पक्ष के साथ समझौते करने का प्रयत्न किया और इस पर भी कुछ समय लगा । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यद्यपि वक्फ एक ही दो

तथापि जितने अवैध कब्जा धारी हैं उतने ही मुकदमें चलाये जाने चाहिये। इसी कारण मुकदमें समय पर नहीं चलाए जा सके।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस विषय पर अखिल भारतीय आधार पर एक व्यापक विधेयक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं नहीं जानता कि वह विधेयक सभा के समक्ष कब आएगा तथा कब राज्य उससे सहमत होंगे।

मंत्री महोदय ने जितनी अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखता है, वह अवधि भी पर्याप्त नहीं है। मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि अवधि दिसम्बर, 1974 तक बढ़ाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय का मामले की व्यापकता को समझना चाहिए। दो वर्ष का समय बिल्कुल अपर्याप्त है। मेरा सुझाव यह है कि इसे कम से कम पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वह एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहते हैं। वास्तव में यह एक अच्छी पेश कश है। मैं चाहता हूं कि बम्बई न्यास अधिनियम के समान ही विधेयक होना चाहिये उसमें ऐसी सम्पतियों के लिये कोई समय सीमा नहीं रखी गई है और किसी भी समय अपने बारे में मुकदमा दायर किया जा सकता है। परन्तु मेरा संदेश है कि सभी राज्य सरकारें इस व्यापक विधेयक से सहमत हों। उन्होंने बताया है कि हम व्यापक विधेयक का प्रारूप राज्यों की राय जानने के लिये भेजा गया है और उनका उत्तर अभो नहीं मिला है। मेरे विचार से उनका उत्तर मिलने में अभी समय लगेगा। इसीलिए मैं समय बढ़ाकर 1974 कराना चाहता हूं। क्योंकि जब राय मालूम होने में समय लगा तो क्रियान्वित में निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चेंगलराया नायडू : (चित्तूर) : सभापति महोदय इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय तथा सभा का ध्यान वक्फ बोर्डों के कुप्रबन्ध की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी लापरवाही के कारण लोगों को नुकसान है। लोगों ने यह न जानते हुए कि सम्पदा वक्फ की हैं, मकान बना लिये हैं। यदि अभी वक्फ वाले सम्पादकों वापिस ले लें तो उन लोगों का क्या बनेगा। जिन्होंने कहा पर मकान बना लिए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार गम्भीरता के इस बात पर विचार करें तथा नाममात्र मूल्य लेकर वे सम्पादयें ने उन्हें उन्हीं लोगों को दे दें जिन्होंने उनपर मकान बना लिये हैं। हमारे लिए मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस समस्या पर भी विचार करें और इसका ध्यान रखें कि धार्मिक संकल्पों कि सहायता करते समय जनता को नुकसान न पहुंचे।

Shri Ghayoor Ali Khan (Kairana) : Sir, In 1947 at the time of partition, the Trustees, who managed the Wakf properties, left for Pakistan due to exchange of population and no one remained to look after these properties. They have taken all the papers with them connected with these properties.

A law by the name of Wakf Act was enacted by the Central Government in 1954 and the States were empowered to set up Wakf Boards, Wakf Commissioners and staff to survey Wakf properties in the various States. But the States did not pay any heed to it. Only two or three States have so far completed the survey.

The people have taken such properties into adverse and illegal possession. Even in Delhi many places of worship are being used for residential purposes. Only during the last month three mosques were dismantled in Nizamuddin and the grave yard was illegally occupied.

I fully support this Bill and request the House to adopt this Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, The Government had assured in 1967 that the period of limitation for this purpose will not be extended any further. However, they have done nothing since December, 1968. They do not even know whether the commissions have been appointed in the states or not. This Bill is a consequence of Government's red tapism and inefficiency.

I regard it as a sin to use religious buildings **viz** Temple, Mosques, Gurdwaras etc. for personal use. I would, however, like to point out the hardships, caused by such occupation of properties in Delhi. In my own constituency about one thousand houses have been built on leased land. Now Wakf Board claims the propriety and wants the lease money to be paid to them and the Government also want to realise the lease money. This dispute between the Government and Wakf Board should be settled so that the lease holders could know whom to pay this lease money.

The Wakf Board were constituted under the Wakf Act with a view to provide employment opportunities to the poor and to open hospitals, schools and colleges for all the communities. But, instead, they have become a source of political favouritism. I would like to know from the Minister the number of schools, colleges, dispensaries and hospitals opened and the number of patients visiting such hospitals and dispensaries daily.

Accounts are not maintained properly in these Wakf Boards. At some places the funds of these Boards are even used for political and personal end. A commission of Enquiry should be appointed to look into the affairs of these Wakf Boards.

It is very astonishing that a man like Sheikh Abdullah, who refuses to commit himself an Indian, has been appointed as Chairman of the Jammu and Kashmir Wakf Board. The Hon. Minister recently had talks with Sheikh Abdullah. I would like to know whether the Hon. Minister and this Government deliberately playing in the hands of Pakistani agents ?

श्री मु० यूनस सलीम : यह वक्फ अधिनियम जम्मू और काश्मीर में लागू नहीं है। वहां के वक्फ अधिनियम पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : If they have no direct control over there why he went there for talks. It means he has not gone there to have discussions about the Wakf Boards. He has gone there to talk about Pakistan.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं है। माननीय सदस्य को अपने विचार इस विधेयक तक ही सीमित रखने चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : It should be made applicable to Jammu and Kashmir if at present it is not applicable there. I was talking about Sheikh Abdullah. It is believed that he is not faithful to India. He is taking undue advantage of the property of the Wakf Board. I would, therefore say that such a person should not be appointed as Member of the Wakf Board, whosoever he may be.

A comprehensive Bill should be brought before the House for the purpose. It has already been delayed very much.

As I am not against principles of the Bill therefore I support it.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I rise to support the Bill. People have been occupying many mosques and Temples and other places of worships. They should be got vacated although they might have been in their occupation for 12 or 20 years. No time limit should be specified in the Bill for this purpose. Trespassing should not be allowed in any way.

Legal advisers should be appointed at monthly salary for the pending cases in the court as the vakils and advocates are charging too much fees. Corruption is also prevalent among the Patwaris. This should be enquired into.

Persons of integrity should be appointed Members of the Wakf Board. Members of the Wakf Board have raised huge properties. The places where schools and institution have been establised should be given on 99 years lease. But the forceful occupation should not be tolerated.

I would also request that the cases pertaining to the refugees of West and East Pakistan should be settled through persuation. I would also request that Public Trust should be brought forward without any further delay.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Although I am generally against the ordinances yet keeping in view its importance I support this Bill. I would request the Hon. Minister to raise the date prescribed therein to 1972 or 1973 because they may not have to ask for extension afterwards.

I believe that the time is not too far away when the people of both India and Pakistan will be united. The artificial wall which exist between the two countries will fall down. They can not remain separated for ever. I may quote that a high ranking officer of Pakistan army wept on visiting his native village in India and seeing an old lady there.

Shri Randhir Singh : His name was General Umaro Khan.

Shri S. M. Banerjee : Yes his name is General Umaro Khan. He wept vehemently when he visited his native village in India. Similarly when Shri Balraj Sahni went to Lahore he wept remembering that this was his native place and now he had come as a guest.

All the Mosques, Temples and Churches which are in depleted condition should be got repaired. An enquiry should be made if any mosque has been abolished.

Irregularities in the accounts of the Wakf Boards should be removed. Funds of the Boards should be properly used.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I want that this Bill should be passed. The two years time which has been provided in the Bill is too short a period. This should be extended. The Wakf Boards should be entrusted with the job of getting their lands released which are under illegal occupation of others. The land of the Wakf Board should be properly used. At the time of the construction of the Oberoi Hotel a dispute was raised over the lands. But afterwards the dispute was settled and not only the Oberoi Hotel has come up there but a school has also been constructed. It would have been better had a Hostel for the poor students irrespective of the religion been constructed there. Similarly in Lucknow a Cinema building has been constructed on the land of the Wakf Board. Much hue and cry was raised at the time of the construction of the Cinema but the dispute was settled amicably afterwards. Such things should be stopped. Useful things such as Hospitals and Colleges should have been got constructed at such places.

I agree with Shri Kanwar Lal Gupta that Sheikh Abdullah should not be appointed Chairman of the Jammu and Kashmir Wakf Board. The Government should use his influence there. The persons should not be allowed to use these Boards for political ends. These Boards should be made public utility institutions and their funds should be used for the welfare of poor people. The places of worship should not be allowed to use for political ends. I will appeal to all people to help in avoiding all these things. With these words I support the Bill.

श्री मु० यूनस सलीम : जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं ।

14 अगस्त 1967 से दिसम्बर 1968 तक लगभग 13,500 मुकदमें दायर किये गये है । लगभग 20,000 स्थानों पर विभिन्न लोगों का गैर-कानूनी कब्जा है । एक मुकदमा करने के लिए अदालत के शुल्क समेत लगभग 100 रुपये की आवश्यकता होती है ।

कानून के अनुसार एक वक्फ की आय को दूसरे वक्फ के लाभ के लिए व्यय नहीं किया जा सकता । अत: धन के अभाव के कारण वक्फ बोर्डों के लिए मुकदमें दायर करना कठिन है । मुकदमें दायर करने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है । अनेक राज्य सरकारों का रवैया इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक नहीं हैं । उनको केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । जहां कहीं भी सम्भव है हम मुकदमा दायर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री नायडू सहित कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जिन सम्पत्तियों पर कुछ व्यक्तियों ने भवन आदि निर्माण कर लिए है उनको न उठाया जाय । इस बारे में मेरा निवेदन है कि हम उनसे समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह जानना बहुत कठिन है कि क्या वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को जानबूझकर अथवा अनजाने में खरीदा गया है । यह

भी सुझाव दिया गया है जिन वक्फ बोर्डों की सम्पत्ति पर अस्पताल, कालेज आदि बनाये गये हैं उनको न गिराया जाय। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमने उनको कभी बेदखल नहीं किया। ऐसी भूमि मामूली किराये पर पट्टे पर दी गई है। परन्तु हमें वक्फ की सम्पत्ति को हर हाल में बनाये रखना है।

जहां तक वक्फ बोर्डों द्वारा सर्वेक्षण कार्य को पूरा न कराये जाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर उनको आयुक्तों को सहायता देने का अनुरोध किया है। वक्फ बोर्डों की सम्पत्ति न केवल नगरों में बल्कि ग्रामों में भी है। इनमें कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मस्जिदें आदि भी शामिल हैं। कई मामलों में मतव्वली नहीं है। ऐसे मामलों में आयुक्त के लिए सर्वेक्षण कार्य को पूरा करना कठिन है। राज्य सरकारें तथा ग्राम अधिकारी आयुक्तों को सहायता देने में अनिच्छुक हैं। फिर भी सर्वेक्षण कार्य को पूरा कराने के लिए केन्द्रीय सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। सर्वेक्षण के पूरा होने पर शासकीय राजपत्र में सूची प्रकाशित कर दी जायेगी और बिना कठिनाई के मुकदमें दायर कर दिये जायेंगे। जैसा मैंने पहले बताया एक वर्ष में हमने 13,000 मुकदमें दायर किये हैं। जिन मामलों में भूमि के प्लाटों को सरकार द्वारा उनको अपना समझकर पट्टे पर दे दिया गया है उन मामलों में वक्फ बोर्ड द्वारा पट्टाधारी के विरुद्ध दावा किया गया है। यदि न्यायालय यह निर्णय दे देता है कि यह भूमि सरकार की नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है तो सम्पत्ति का लाभ वक्फ बोर्ड को दिया जायेगा। इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। सरकार वक्फ बोर्ड को या तो उस प्लाट का प्रतिकर देगी अथवा उसकेबजाय भूमि का कोई दूसरा प्लाट वक्फ बोर्ड को दिया जायेगा। परन्तु हम वक्फ के लक्ष्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लो एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान बनाने के लिए एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया है और यदि सरकार ने उस भूमि पर कुछ लोगों को इमारतें आदि बनाने में किसी प्रकार की सहायता की हैं तो ऐसे मामलों में हम वक्फ बनाने वाले के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में मुआवजा दिया जायेगा।

न केवल जम्मू तथा काश्मीर बल्कि अन्य कई राज्यों में वक्फ अधिनियम लागू नहीं है।

मैंने मुख्य मंत्रियों तथा अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे वक्फ विधि के प्रशासन में समरूपता लाने के लिए 1954 के अधिनियम को लागू करें। इसी उद्देश्य से मैंने जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी तथा उन्होंने मुझे सूचना दी कि शेख अब्दुल्ला वक्फ बोर्ड के सभापति हैं। मैंने उनसे केन्द्रीय अधिनियम को लागू करने की सम्भावनाओं के विषय में विचार-विमर्श करने का प्रयत्न किया यह समवर्ती विषय होने के कारण इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की मंत्रणा के बिना इस अधिनियम को किसी भी रूप से लागू करना असम्भव है। राज्य की वक्फ समस्या के विषय में शेख अब्दुल्ला से विचार करना हानिकारक नहीं है।

परन्तु ऐसे मनुष्य होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों की गतिविधि के प्रयोजनों पर आरोप लगाते हैं। यह उनकी तथा उनके दल की धारणा होती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : But you objected as to why Sheikh Abdulla was made Chairman. Kindly explain this.

श्री मु०यूनुस सलीम : जब तक वर्ष 1954 का अधिनियम लागू नहीं हो जाता इस प्रकार मेरे द्वारा एतराज उठाने का कोई कारण ही नहीं उठता। मैंने अनौपचारिक रूप से इस अधिनियम के लागू होने की सम्भावनाओं पर उससे विचार किया तथा मुझे बताया गया था कि शेख अब्दुल्ला वक्फ के सभापति बख्शी गुलाम मुहम्मद के समय में ही चुने गए थे। वर्तमान मुख्य मंत्री ने उन्हें नहीं बनाया था।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं।

श्री मु० यूनुस सलीम : मेरे अनुमोदन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह तो राज्य के निवासियों पर निर्भर करता है।

दूसरा प्रश्न है कि जहां कहीं 1954 का अधिनियम लागू किया जाता है राज्य सरकार अथवा राज्य के मुख्य मंत्री अथवा अन्य मंत्री ही वक्फ बोर्ड बना सकती हैं केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने देहली में हस्तक्षेप किया है तथा मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं।

श्री मु० यूनुस सलीम : देहली केन्द्र प्रशासित राज्य है। मेरे आदरणीय मित्र इसे भली प्रकार जानते हैं। उपराज्य पाल की सिफारिशों पर वक्फ बोर्ड बनाया गया था, तथा देहली का उदाहरण देश के अन्य राज्यों पर लागू नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है कि दो वर्ष की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। राज्यों का सर्वेक्षण वर्ष 1970 के मध्य तक होने की सम्भावना है तथा उस समय तक, मैं आशा करता हूंकि सार्वजनिक न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश हो जाएगा। इस विधेयक के पारित हो जाने पर इस प्रकार की सीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इस बीच समय की और अधिक वृद्धि आवश्यक नहीं है। इन वक्फ बोर्डों का कार्य संचालन अधिनियम के अनुसार होता है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों को राज्यों के द्वारा नाम जप किया जाता है तथा इसका सभापति उन्हीं सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्य सरकार इनको समय-समय पर निर्देश देती रहती है। कुछ सीमित मामलों में केन्द्रीय सरकार को भी ऐसा अधिकार होता है।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः उनका तात्पर्य है कि इनके सुधार के लिए आप अपने नैतिक प्रभाव का प्रयोग करें, इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री मु० यूनुस सलीम : यही हम कर रहे हैं। हम इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि इनके कार्य की देख-रेख भली भांति हो सम्पत्ति का दुरुपयोग किसी भी रूप में न होने पाए। इस मामले में हम राज्य सरकारों को किसी वक्फ बोर्ड को रद्द करने का निर्देश देने में भी नहीं हिचकिचाते। परन्तु कभी-कभी कठिनाई खड़ी हो जाती है तथा राज्य सरकारों को इस दिशा में विश्वास दिलाना कठिन हो जाता है। आजकल राज्य सरकारों के व्यवहार से प्रत्येक व्यक्ति अवगत है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि वक्फ बोर्डों में केवल एक ही सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व होता है ?

श्री मु० यूनुस सलीम : अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केवल मुसलमान शिया तथा सुन्नी ही इसका सदस्य बन सकता है। वैसे प्रत्येक सम्प्रदाय के व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों में बिना किसी हस्तक्षेप के प्रबंध करने की छूट होनी चाहिए। इसके लिए वक्फ अधिनियम की नियमावलियों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के व्यक्ति को अपने शैक्षिक संस्थान तथा धर्मार्थ के कार्यों का प्रबन्ध करने का अवसर दिया जायेगा।

सुझाव दिया गया है कि कब्रिस्तानों की भूमि में सिनेमा, होटल आदि का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सहमत हूं। जब कभी भी हमें ऐसी बातों की सूचना मिली हमने इसको रोक दिया। एक विशेष मामला जो न्यायालय में ले जाया गया, उसका निर्णय बोर्ड के विरुद्ध गया।

प्रत्येक वक्फ बोर्ड में विधि-सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है, कहीं-कहीं तो एक से अधिक भी सलाहकार होते हैं। जहां सम्भव होता है वहां हम इनका पर्यवेक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं तथा कुशल वकीलों तथा परामर्श-दाताओं की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार की सम्पत्तियों का सुचारु रूप से प्रबन्ध करने का हम यथा सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री श्रीचन्द गोयल के संकल्प को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 13) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार विचार करेंगे ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1 पंक्ति 8

"1970" के स्थान पर पढ़िए "1974"

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः क्या माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ?

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : श्री कुंवर लाल गुप्ता का एक संशोधन है ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि वह वक्फ बोर्डों के मामलों की जांच करेंगे, अतः मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड (2) को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए ।

Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill

श्री मु० यूनुस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

विधेयक को पारित किया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 मार्च, 1969/3 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 24th March, 1969/ Chaitra, 3 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow 17-7-69—600.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]